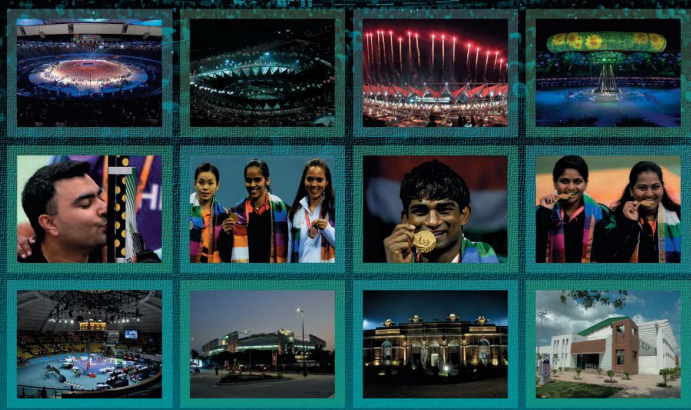
सत्यमेव जयते

19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन





भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

[illegible]


WINNERS
WINNERS

19वें राष्ट्रमंडल खेल
2010
का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
2011 - 12 की संख्या 6
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



विषय सारणी

प्रस्तावना			1
कार्यकारी सार			5
1	परिचय		37
	1.1	खेल	37
	1.2	राष्ट्रमंडल खेल 2010	37
	1.3	राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008, पुणे	38
	1.4	राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन -एक कठिन, दीर्घकालिक और बहुआयामी परियोजना	40
2	19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारियों पर एक अध्ययन रिपोर्ट		43
3	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण		47
	3.1	लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं	47
	3.1.1	वित्तीय एवं विनिमय/अनुपालन लेखापरीक्षा	
	3.1.2	आयोजन समिति (ओसी) की लेखापरीक्षा	
	3.1.3	सीडब्ल्यूजी-2010 की तैयारियों पर अध्ययन रिपोर्ट	
	3.2	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	48
	3.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र और दायरा	48
	3.4	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	49
	3.5	कार्यक्षेत्र सीमांकन	50
4	शासन और निरीक्षण व्यवस्थाएं		51
	4.1	दिल्ली को सीडब्ल्यूजी -2010 का जिम्मा मिलना	53
	4.1.1	भारतीय ओलंपिक संघ की निविदा को बिना प्राप्त किए और बिना परीक्षण के मंजूरी दिया जाना	
	4.1.2	राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ मूल्यांकन आयोग का अगस्त 2003 दौरा	
	4.1.3	सितंबर 2003 का कैबिनेट नोट	
	4.1.4	अक्टूबर 2003 की सीजीएफ मूल्यांकन आयोग की रिपोर्ट	
	4.1.5	आयोजक शहर समझौते की मुख्य बातें	
	4.2	शासन का कमजोर ढ़ांचा	56
	4.2.1	कई एजेंसियों की उपस्थिति	
	4.2.2	मंत्रियों का समूह (जीओएम)	
	4.2.3	खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की भूमिका	
	4.2.4	सर्वोच्च समिति	

विषय सारणी

4.3 आयोजन समिति तथा आयोजन समिति की तुलना में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय (एमवाईएएस) की भूमिका 62

4.3.1 आयोजन समिति का गठन

4.3.2 आयोजन समिति के सदस्य

4.3.3 आयोजन समिति का कार्यकारी बोर्ड

4.3.4 आयोजन समिति की शासन संरचना पर व्यक्त चिन्ताएं

4.3.5 आयोजन समिति के प्रभाव का दायरा

4.3.6 ओसी की शासन संरचना में अक्टूबर 2009 से आए परिवर्तन

4.4 समन्वय समितियां 71

4.4.1 सचिवों की समिति (सीओएस)

4.4.2 खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाई गई समितियां

4.5 वेब आधारित परियोजना निरीक्षण तंत्र (पीएमएस) 75

4.6 दिल्ली के उपराज्यपाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भूमिका 75

4.6.1 विहंगावलोकन

4.6.2 दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी अधिकार प्राप्त समिति

4.6.3 श्री नारायणस्वामी को सीडब्ल्यूजी 2010 का सलाहकार नियुक्त किया जाना

4.6.4 स्टीयरिंग समिति

4.6.5 एकीकृत यातायात और परिवहन बुनियादी ढ़ांचा (आयोजना और आभियांत्रिक) केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी)

4.6.6 आदेश के कई स्तर

5 नियोजन 79

5.1 विहंगावलोकन 79

5.2 खेलों की मेजबानी हेतु दिए गए सात वर्ष के समय का इस्तेमाल न होना 80

5.3 सामान्य संगठन योजना (जीओपी) और गेम्स मास्टर शेड्यूल (जीएमएस) को अंतिम रुप देने में देरी 81

5.4 ओसी की योजनाओं को अंतिम रुप देने में देरी 82

5.4.1 कार्यात्मक क्षेत्र (एफ ए) की परिचालन योजना

5.4.2 अन्य नियोजन दस्तावेज

5.5 आयोजन स्थलों के लिए नियोजन 82

5.6 शहर के बुनियादी ढ़ांचे की योजना को अंतिम रुप देने में देरी 83

5.7 अन्य गतिविधियों के लिए नियोजन 84

6 खेल परियोजनाओं का वित्तीय प्रंबधन 85

6.1 पृष्ठभूमि 86

6.2 सीडब्लूजी-2010 के लिए बजट निर्माण 86

6.2.1 बजट अनुमानों का ब्यौरा

6.2.2 बजट अनुमानों में अत्यधिक बढ़ोतरी

6.2.3 वास्तविक बजट अनुमान का सीमित दायरा (मई 2003 निविदा)

6.2.4 लागत / बजट में बढ़ोतरी के अन्य कारण

6.3 भारत सरकार का वित्तीय प्रबंधन 92

6.3.1 मंजूरी प्रक्रिया

6.3.2 मंजूरी का सारांश

6.3.3 मंजूरी मिलने में हुई देरी

6.4 दिल्ली सरकार में वित्तीय प्रबंधन 94

6.5 बकाया देनदारियां 95

7 आयोजन समिति के अंदर आंतरिक नियंत्रण और फैसला लेने की प्रक्रिया 97

7.1 ओसी की संरचना और गतिविधियां 98

7.2 आंतरिक नियंत्रण का माहौल 106

7.2.1 विहंगावलोकन

7.2.2 संवेदनशील अनुबंधों से संबंधित कामों का अनियमित वितरण

7.2.3 दस्तावेज

7.2.4 वित्तीय, कराधान और कानूनी सलाह / जांच

7.2.5 भुगतान की प्रक्रिया

7.2.6 कराधान से संबंधित मामलों का खराब प्रबंधन

7.2.7 बकाया ऋण और अग्रिम राशि

7.2.8 आंतरिक लेखा परीक्षा और सर्तकता

7.3 अनुबंध प्रबंधन 111

7.3.1 2010 में अनुबंधों का एकत्रीकरण

7.3.2 अनुबंध किए जाने में अनियमितताएं

7.4 आयोजन समिति और भारतीय ओलंपिक परिसंघ (आईओए) के संबंध 114

7.5 सलाहकारों की भूमिका 116

8 आयोजन समिति द्वारा राजस्व सृजन 119

8.1 खेलों की राजस्व निरपेक्षता 121

8.1.1 प्रारंभिक राजस्व अनुमान

8.1.2 राजस्व अनुमानों को बढ़ाने की प्रवृत्ति

8.2 राजस्व निरपेक्षता का दिखावा 122

8.2.1 ओसी के मूल बजट की जांच

8.2.2 ओसी का संशोधित बजट

8.2.3 प्रतिबद्ध राजस्व की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति

8.3 राजस्व प्राप्ति के लिए योजना में हुई देरी 125

विषय सारणी

8.4 प्रायोजकता राजस्व 126

8.4.1 प्रायोजकर्ता और व्यापार लाइसेंसिंग सलाहकार के रुप में एसएमएएम का चुनाव
8.4.2 अगस्त 2010 में एसएमएएम के साथ अनुबंध का समाप्ति
8.4.3 प्रायोजकता राजस्व की प्राप्ति
8.4.4 प्रायोजकता योजना में किए गए लगातार बदलाव
8.4.5 प्रायोजकता प्रस्तावों को नजरंदाज किया गया
8.4.6 वास्तविक / प्रतिबद्ध प्रायोजकता राजस्व
8.4.7 बिजनेस क्लब ऑफ इंडिया (बीसीआई)

8.5 व्यापार और लाइसेंसिंग 131

8.5.1 व्यापार और लाइसेंसिंग की योजना को बनाने में हुयी देरी
8.5.2 खेलों के लिए प्रीमियर ब्रांडस लिमिटेड की एकमात्र लाइसेंसधारी के तौर पर नियुक्ति
8.5.3 व्यापारिक और लाइसेंसिंग योजना को लागू करना

8.6 प्रसारण राजस्व 133

8.6.1 विहंगावलोकन
8.6.2 राष्ट्रीय घरेलू प्रसारण अधिकार
8.6.3 प्रसारण अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार की नियुक्ति
8.6.4 अंतरराष्ट्रीय प्रसारण अधिकार

8.7 बड़े स्क्रीन और आधुनिक मीडिया से संबंधित अधिकार 135

8.8 टिकटिंग 135

8.8.1 विहंगावलोकन
8.8.2 टिकटिंग सलाहकार की नियुक्ति
8.8.3 टिकटिंग एजेंसी की नियुक्ति
8.8.4 टिकटों की विपणन
8.8.5 टिकटों की कम बिक्री

8.9 दान (डोनेशन) लाटरी 139

9 खेल योजना सलाह और ओवरलेज 141

9.1 खेल योजना सलाहकार कार्य-इवेंट नॉलेज सर्विसेज (इ.के.एस.) की भूमिका 142

9.2 स्थल ओवरलेज 143

9.2.1 परिचय
9.2.2 योजना और ओवरलेज प्रयोजन में देरी
9.2.3 ओवरलेज के लिए बजट की व्यवस्था
9.2.4 वस्तुवार अनुबंधों से समूह-वार अनुबंधों की ओर अव्याख्येय स्थानांतरण
9.2.5 असामान्य पात्रता के मानदंड एवं मूल्यांकन
9.2.6 गठजोड़, व्यावसायिक समूह और सूचनाओं का संदिग्ध रुप से लीक होना
9.2.7 मुखौटे की तरह काम करती रहीं वैश्विक कंपनियां
9.2.8 अनुबंध प्रदान करना
9.2.9 ओवरलेज की अत्यधिक दरें

10 समारोह 155

10.1 ओवरव्यू 157

10.2 मेलबॉर्न 2006 के दौरान झलकी 158

10.3 उद्घाटन एवं समापन समारोह, सीवाईजी-2008, पुणे 158

10.4 क्वींस बेटन रिले (क्यूबीआर) 158

10.4.1 क्यूबीआर के लिए सलाहकार सेवाएं

10.4.2 क्यूबीआर के लिए मशालों का डिजाइन और निर्माण

10.5 क्यूबीआर उद्घाटन समारोह 160

10.5.1 लंदन में क्यूबीआर उद्घाटन के लिए इवेंट मैनेजमैंट एजेंसी

10.5.2 क्यूबीआर उद्घाटन समारोह के लिए 52 सदस्यों का प्रतिनिधि दल

10.5.3 विभिन्न सेवाओं के लिए एएम फिल्मस यूके लिमिटेड और एएम कार्स एंड वैन हायर लिमिटेड के साथ करार

10.5.4 क्यूबीआर उद्घाटन समारोह के दौरान दिए गए उपहार प्लेकस

10.5.5 श्री महेन्द्रू द्वारा किए गए दूसरे खर्चे

10.6 उद्घाटन एवं समापन समारोह 164

10.6.1 योजना में देरी

10.6.2 विभिन्न एजेंसियों की भूमिका में ओवरलैपिंग

10.6.3 श्री भारत बाला का प्रदर्शन और नियुक्ति

10.6.4 स्पेक्टेक प्रोडक्शंस (श्री रिक बिर्च) के नियुक्ति

10.6.5 विजक्राफ्ट की इवेंट मैनेजमेंट फर्म के तौर पर नियुक्ति

10.6.6 दूसरे परामर्शदाताओं की असंगत नियुक्तियां

10.6.7 थीम गीत

10.6.8 संगीतकार और निर्देशक

10.6.9 सहायक सामग्री-विशेष सामग्री की खरीद

10.6.10 मैदान की सुरक्षा और एफओपी को पुनः स्थापित करना

11 खानपान सुविधाएं 179

11.1 खान पान प्रबन्ध के लिये योजना 179

11.2 सी.डब्लू.जी. 2010 और मेलबर्न 2006 तथा लंदन ओलंपिक 2010 के बीच अंतर 180

11.3 खेल गांव (सी.जी.वी.) के लिए खानपान सेवा अनुबंध का दिया जाना 180

11.4 खेल स्थलों और गैर खेल स्थलों पर खानपान व्यवस्था 184

11.5 जुलाई 2010 में तीन नई आरएफपी जारी करना 186

11.5.1 दर्शकों के लिए फूड स्टॉल के संचालन की एजेंसी

11.5.2 स्पर्धा और प्रशिक्षण आराम गृह स्थलों पर खान पान की व्यवस्था

11.5.3 खाने के पैकेटों की सप्लाई और वितरण की व्यवस्था

11.6 एअरपोर्ट पर कैटेरिंग 188

विषय सारणी

12 तकनीकी 189

12.1 तकनीकी आवश्यकताओं पर एक निष्कर्ष 191

12.2 तकनीकी कार्य क्षेत्र का प्रबंधन 191

12.3 टाइमिंग स्कोरिंग और रिजल्ट (टी.एस.आर.) सिस्टम 191

12.3.1 विहंगावलोकन

12.3.2 योजना में देरी

12.3.3 बजट

12.3.4 टी.एस.आर. अनुबंध का सौंपा जाना

12.3.5 टीएसआर का प्रदर्शन

12.4 स्कोर बोर्ड की संरचना 197

12.5 खेल प्रबंधन प्रणाली 197

12.5.1 योजना बनाने में देरी

12.5.2 प्रतिस्पर्दाओं से बाहर करना

12.6 अधिकारिक गेम्स टाइम वेबसाइट 200

12.6.1 योजना

12.6.2 एचटी हंगामा को अनियमित तरीके से अनुबंध दिया जाना

12.6.3 वेबसाइट का प्रदर्शन

12.7 दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग परियोजनाएं 201

12.7.1 नामांकन के आधार पर टीसीआईएल की नियुक्ति

12.7.2 खेल स्थलों के लिए आडियो विडियो उपकरणों की सप्लाई

12.7.3 कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद

12.7.4 वस्तुओं की सूची का रखरखाव, उन्हें वापिस करने और स्थाई उपयोगिता की योजना

12.8 आईटी सेवाओं का प्रावधान- दूसरे अनुबंध 202

12.8.1 खेल गांव में वाई फाई सुविधा

12.8.2 मीडिया के लिए डेटा कार्ड की व्यवस्था

12.8.3 मीडिया के लिए फिक्स्ड लाइन ब्राडबैंड कनेक्शन

12.8.4 खेल गांव के लिए आईपीटीवी

13 खेल 205

13.1 विहंगावलोकन 205

13.2 खेल उपकरणों की खरीद 205

13.2.1 विहंगावलोकन

13.2.2 एथलेटिक्स उपकरणों की खरीद

13.2.3 बाक्सिंग उपकरणों की खरीद

13.2.4 शटलकॉक्स की खरीद

13.2.5 परीक्षण आयोजनों और अभ्यास के लिए उपकरणों की आपूर्ति में देरी

13.3 खरीदे गए उपकरणों का अप्रयुक्त रहना 209

13.4 खेल प्रस्तुतिकरण समारोह 209

13.4.1 विहंगावलोकन

13.4.2 ग्रेग बोमेन और ग्रेट बिग इवैंट्स का अनुबंध

13.4.3 खेल प्रस्तुतिकरण के लिए आडियों वीडियो उपकरणों का बड़े पैमाने पर किराये पर लिया जाना

14 खेलों की ब्रांडिग 215

14.1 विहंगावलोकन 215

14.2 प्रेस संक्रिया 216

14.2.1 प्रेस संक्रिया के निदेशक पद से श्री मनीष कुमार की नियुक्ति और निष्कासन

14.2.2 खेल समाचार सेवा

14.3 खेलों की पहचान और छवि 218

14.3.1 ग्राफिक डिजायन

14.3.2 खेलों की छवि प्रदाता का चयन

14.3.3 गेम्स लुक प्रोवाइडर के अनुबंध का निष्पादन

14.4 संचार कार्यात्मक क्षेत्र 221

14.4.1 विहंगावलोकन

14.4.2 कुछ खास टीवी चेनलों को अस्थाई तौर पर काम देना

14.4.3 उपहार स्वरूप दिए 16.20 करोड़ रुपए की वस्तुओं का खेलों में कोई इस्तेमाल नहीं

14.4.4 विज्ञापन एजेंसी को पैनल पर लेना

14.4.5 1.27 करोड़ रूपयों की आडियो बिजुअल (दृश्य श्रव्य) विज्ञापनों का कोई उपयोग नहीं

15 आयोजन समिति में कार्यबल और दूसरी सहायक गतिविधियां 223

15.1 कार्यबल 224

15.1.1 कार्यबल सलाहकार की नियुक्ति

15.1.2 स्वेच्छाचारी व तदर्थ कार्यबल प्रबंधन

15.2 आवास 230

15.2.1 विहंगावलोकन

15.2.2 फ्लैट्स को किराए पर लेना

15.2.3 होटल आवास के लिए आरक्षण

15.3 मान्यता 231

15.4 सफाई और कचरा प्रबंधन 231

15.4.1 आयोजन स्थलों पर सफाई के लिए दिया जाने वाला अनुबंध

15.4.2 गैर प्रतिस्पर्धा स्थलों पर सफाई सेवाएं

15.5 प्रचालन तंत्र (लॉजिस्टिक्स) 233

15.6 खरीद 233

15.7 जोखिम प्रबंधन 234

15.7.1 बीमा दलाल
15.7.2 सी.वाई.जी.–2008 पुणे के लिए बीमा
15.7.3 बीमा पत्रों का कार्यान्वन

16 आयोजन स्थलों के विकास से जुड़े आम विषय 237

16.1 भूमिका 239
16.2 डिजायन परामर्श 239
16.3 तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी / गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी 239
16.4 ठेके दिया जाना 240
16.5 देरी 242
16.6 ठेका प्रबंधन और निष्पादन 242
16.6.1 लागत अनुमान
16.6.2 कार्यक्षेत्र में बदलाव
16.6.3 देरी का प्रबंधन
16.6.4 कार्य समापन में देरी के लिए मुआवजे की वसूली और उगाही न होना
16.6.5 असंगत ईओटी के मामलों में भुगतान में तेजी
16.6.6 परियोजनाओं के संपन्न होने में देरी को लेकर दंड के प्रावधानों की पर्याप्तता
16.7 काम पूरा करने में समय की कमी के चलते अतिरिक्त श्रम लागत शामिल करने के आधार पर दरों को न्यायोचित ठहराना 246
16.8 जहां स्थल पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था नहीं थी उनको लेबर हट से कार्यस्थल तक लाना और ले जाने पर अस्वीकार्य खर्च 246
16.9 ठेके की आम शर्तों के परिच्छेद 10 सी के मुताबिक मजदूरी में इजाफे का भुगतान 246
16.10 दिल्ली के लिए दरों के विस्तृत विश्लेषण (डीएसआर) में कमियां 248
16.11 सेवा कर के विषय 248
16.11.1 ज्यादा सेवाकर की प्रतिपूर्ति
16.11.2 विशिष्ट कार्य के लिए भुगतान के आश्वासन के बिना सेवाकर की अदायगी
16.12 कला कार्यों का अभाव 249
16.13 स्थाई संपदा योजना 249
16.13.1 समझौता ज्ञापन (एमओयू)
16.13.2 समझौता ज्ञापन में कमियां
16.13.3 वर्तमान स्थिति

17 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजन स्थलों का विकास 253

17.1 डिजाइन सलाहकार की नियुक्ति 255
17.1.1 ई.के.एस. द्वारा तैयार आयोजन स्थल मूल्यांकन अध्ययन और आयोजन स्थल के संक्षिप्त ब्यौरे
17.1.2 " कंडीशन सर्वेक्षण " के लिए सी.ई.एस. की नियुक्ति

17.1.3 सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सभी पांच स्टेडियमों के मुख्य सलाहकार के तौर पर कंसलटेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज (ई) लिमिटेड (सी.ई.एस.) का चयन

17.2 सीपीडब्ल्यूडी में संगठित इन हाउस डिजाइन कुशलताओं की कमी 261

17.3 समान निविदा प्रक्रिया के जरिए खरीद 262

17.3.1 खेल सर्फेस के लिए ब्रांड्स का चुनाव

17.3.2 कृत्रिम एथलेटिक ट्रैक सर्फेस का बिछाया जाना

17.3.3 पांच स्टेडियमों में वीवीआईपी / वीआईपी और मीडिया के लिए कुर्सियों की खरीद में दरों का असंगत तरीके से बढ़ा हुआ होना, परिणामस्वरुप 3.66 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा

17.4 स्थायी तौर पर डीजी सेट्स की स्थापना 270

17.5 समानान्तर अधिकता के लिए अतिरिक्त यूपीएस की स्थापना 272

17.6 जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम परिसर 273

17.6.1 सीटिंग क्षेत्र के ऊपर स्थायी टेनसाइल मेंब्रेन छत का निर्माण

17.6.2 जेएनएस में सुरंग

17.6.3 दो दर्जे वाली भूमिगत पार्किंग के साथ भारोत्तोलन ऑडिटोरियम का निर्माण

17.6.4 वाडा प्रयोगशाला और प्रशासनिक खण्ड के लिए सलाहकार सेवाएं

17.6.5 सड़क, पानी की निकासी और वार्म अप क्षेत्र के लिए आरसीसी युक्त बैठने वाली पंक्तियों का निर्माण

17.6.6 सब स्टेशन इमारत I, II, IV और पानी की भूमिगत टंकियों और पंप कमरों का निर्माण

17.6.7 स्टेडियम परिसर में चारदीवारी का निर्माण

17.6.8 पूरे हो गए हॉस्टल / मीडिया आवासीय परिसरों का इस्तेमाल न होना

17.7 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर 283

17.7.1 प्रस्तावना

17.7.2 एसीआईएल को दी गई अनुचित रियायतें

17.7.3 छत में बदलाव

17.7.4 समझौते में त्रुटियां

17.7.5 विनिर्देश खेलों की जरुरत के अनुसार नहीं थे

17.7.6 0.39 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान

17.7.7 खेल उपकरणों की जरुरत से ज्यादा खरीद

17.7.8 अग्निशामक तंत्र के लिए घटिया हौज पाइप्स की आपूर्ति

17.7.9 निम्न गुणवत्ता वाले कार्य का निष्पादन

17.7.10 त्रुटिपूर्ण कार्य का निष्पादन

17.7.11 काम के पूरा होने की प्रमाणिकता की कमी

17.7.12 बागवानी का अपर्याप्त कार्य

17.8 इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर 288

17.8.1 प्रस्तावना

17.8.2 भीतरी साईक्लिंग वेलोड्रोम

17.8.3 कुश्ती स्टेडियम
17.8.4 जिमनास्टिक स्टेडियम
17.8.5 हॉस्टल / मीडिया केंद्र और सड़कों, पानी की निकासी और चारदीवारी
17.8.6 2.48 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदें

17.9 मेजर ध्यान चंद स्टेडियम 298

17.9.1 प्रस्तावना
17.9.2 निविदा के मापदण्ड में ढील
17.9.3 बोली लगाई गई राशि की विश्वसनीयता
17.9.4 पीए सिस्टम्स की आपूर्ति, इन्हें लगाने, परीक्षण और शुरु करने (एसआईटीसी) के लिए इलगिन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का चुनाव
17.9.5 अनुबंध के निष्पादन में त्रुटियां
17.9.6 मुआवजे का नहीं लगाया जाना
17.9.7 एफओपी-2 में दर्शक दीर्घा और खेल सहायक सुविधाओं का निर्माण

17.10 कादरपुर निशानेबाजी रेंज 303

17.10.1 कादरपुर निशानेबाजी रेंज के लिए सलाहकार कार्य
17.10.2 कार्यों का निष्पादन
17.10.3 पुलिस संबंधी खिलाड़ियों के लिए झड़ौदाकलान में प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा नहीं होना

17.11 डॉ. करनी सिंह निशानेबाजी रेंज 308

17.11.1 प्रस्तावना
17.11.2 नवीनीकरण/ उन्नयन के फैसले को बदलकर पुर्ननिर्माण करना
17.11.3 ठेकेदार द्वारा काम को पूरा करने में असफल रहने पर 20.10 लाख रुपए के अतिरिक्त खर्चे की वसूली नहीं कर पाना
17.11.4 अयोग्य ठेकेदार को काम दिया जाना
17.11.5 बदली गई मदों को अतिरिक्त मदों के समान अनियमित व्यवहार
17.11.6 कार्य के निष्पादन में कमियां

18 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए कार्यस्थल 313

18.1 परिचय 314

18.2 सलाहकार का चयन 315

18.2.1 पेडलथार्प मेलबर्न का चयन
18.2.2 आर्किटेक्ट ब्यूरो का चयन - जीएसए ग्रुप कंशोर्सियम

18.3 ठेकेदारों का चयन 317

18.4 परियोजना का कार्यान्वयन 318

18.4.1 दरों को अविश्वसनीय तरीके से उचित ठहराना
18.4.2 तीन कार्यस्थलों पर मैपल वुड फ्लोरिंग का स्थापना
18.4.3 एसएफएससी पर एमएस बैरिकेट लगाना
18.4.4 सिरीफोर्ट खेल परिसर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कम इस्तेमाल
18.4.5 डीजल जेरनेटर सेट्स की स्थापना
18.4.6 विशेष मदों के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपाजिट

19 दूसरी एजेंसियों द्वारा निर्मित आयोजन स्थल 321

19.1 प्रस्तावना 322

19.2 नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा विकसित आयोजन स्थल 324

19.2.1 वास्तुकार सलाहकार के तौर पर राजा एदेरी कंस्लटेन्टस प्राइवेट लिमिटेड का चयन

19.2.2 शिवाजी स्टेडियम

19.2.3 तालकटोरा इंडोर स्टेडियम (टीआईएस)

19.3 पीडब्लूडी, जी एन सी टी डी द्वारा निर्मित आयोजन स्थल 330

19.3.1 त्यागराज स्टेडियम का निर्माण / सुधार

19.3.2 छत्रसाल स्टेडियम का निर्माण

19.3.3 लुडलो कैसल में प्रशिक्षण स्थल का निर्माण

19.4 जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (जेएमआई) द्वारा विकसित आयोजन स्थल 336

19.4.1 प्रस्तावना

19.4.2 रग्बी 7 एस मैदान का क्रिकेट के मैदान में पुर्नपरिवर्तन

19.4.3 मंजूर काम के दायरे से विचलन

19.4.4 खराब कार्य का निष्पादन

19.5 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित आयोजन स्थल 338

19.5.1 प्रस्तावना

19.5.2 प्रशिक्षण स्थलों पर कार्य के शुरु होने में देरी

19.5.3 डीयूएसी और एमसीडी की मंजूरी के बिना काम शुरु हुआ

19.5.4 रग्बी, एथलीट और कुश्ती प्रशिक्षण स्थलों का इस्तेमाल नहीं हुआ

19.6 भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) द्वारा विकसित आयोजन स्थल 340

19.6.1 प्रस्तावना

19.6.2 प्रोजेक्ट मेनजमेंट कंसलटेंट का चुनाव

19.6.3 नागरिक, प्लंबिंग और बिजली संबंधी ठेकेदारों का चुनाव

19.6.4 स्टेडियम में कुर्सियों के लिए ठेकेदार की नियुक्ति

19.6.5 परीक्षण स्पर्धाओं और खेलों का संचालन

20 राष्ट्रमंडल खेल गांव 343

20.1 विंहगावलोकन 345

20.2 संगठनिक ढांचा 345

20.3 खेल गांव के लिए निर्माण स्थल का चयन 347

20.3.1 पर्यावरण और संबंधित मुद्दे

20.3.2 शोर कम करने के उपाय

20.4 खेल गांव परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकर की नियुक्ति 350

20.5 आवासीय परिसर 351

20.5.1 निजी सार्वजनिक भागीदारी के ज़रिए फ्लैट्स बनाने का निर्णय

20.5.2 निविदा की प्रक्रिया और अनुबंध

20.5.3 एम्मार एमजीएफ को पूर्व योग्यता (पीक्यू) स्तर पर अनपेक्षित सहयोग
20.5.4 संशोधन के बाद बोली के लिए कम समय दिया जाना
20.5.5 बेलआउट पैकेज
20.5.6 एफएआर का उल्लंघन
20.5.7 गैरकानूनी निर्माण
20.5.8 अनुबंध के पश्चात डेवेलपर को दी गई दूसरी रियायतें
20.5.9 निर्माण कार्य की गुणवत्ता
20.5.10 अधूरा खेलगांव

20.6 गैर आवासीय स्थायी संरचना – अभ्यास क्षेत्र 372

20.6.1 परिचय
20.6.2 सुरेश गोयल एंड एसोसिएट्स का डिजायन सलाहकार के तौर पर चयन
20.6.3 डिजायन सलाहकार का प्रदर्शन
20.6.4 स्पोंटीना पायस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का डेवलपर के रुप में चयन
20.6.5 निष्पादित कार्य की गुणवत्ता
20.6.6 बॉयो ट्वाएलेट्स की खरीद

20.7 अस्थायी संरचनाएं, ओवरलेज 377

20.7.1 जीएल लिटमस इवैंट्स प्राइवेट लिमिटेड का चयन
20.7.2 डिजाइन्स की गुणवत्ता और मात्रा का सत्यापन नहीं होना

20.8 दूसरी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं 379

20.8.1 डीजेबी द्वारा एक एमजीडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण
20.8.2 डीजेबी द्वारा 1 एमजीडी क्षमता के सीवेज शोधन तंत्र का निर्माण
20.8.3 जल शोधन तंत्र और सीवेज शोधन तंत्र की सुरक्षा के लिए आईएल एंड एफएस को दिया गया अनुबंध
20.8.4 डीजल जनरेटर सेट्स की खरीद

20.9 वसंत कुंज में रहने की वैकल्पिक व्यवस्था 383

20.9.1 फ्लैट्स में सुधार (उन्नयन) का अधूरा काम
20.9.2 आईटीडीसी द्वारा फ्लैट्स की फर्निशिंग
20.9.3 होटल में वैकल्पिक व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च

21 राष्ट्रमंडल खेल आयोजनस्थल से जुड़ी सड़कों की स्ट्रीटस्केपिंग और सड़कों का सौन्दर्यीकरण 385

21.1 क्या है स्ट्रीटस्केपिंग ? 386

21.2 दिल्ली के स्ट्रीटस्केपिंग और सुंदरीकरण की योजना 386

21.2.1 अतिमहत्वपूर्ण दूरदर्शिता की कमी

21.3 सलाहकारों का चयन 387

21.3.1 सलाहकारों के चयन में मनमानी

21.4	**कार्य की अनुमानित लागत**	**389**
21.4.1	महंगी विशिष्टताएं स्वीकार करना/ उच्च दरें /कम वसूली	
21.5	**निविदा प्रक्रिया**	**396**
21.5.1	पीडब्ल्यूडी में वस्तु दर के बजाय प्रतिशत दर की निविदा	
21.5.2	निविदा देने और उनके मूल्यांकन में अनियमितता	
21.5.3	संहिताबद्ध मानदंड में परिवर्तन	
21.5.4	उदधृत दरों का अनियमित औचित्य	
21.6	**वास्तविक लक्ष्य व उपलब्धियां**	**397**
21.7	**अनुबंध प्रबंधन**	**398**
21.8	**थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्युरेंस /कंट्रोल की गैरजरुरी नियुक्ति**	**400**
21.9	**बागबानी कार्य**	**401**
21.9.1	समान वस्तुओं के लिए आकलन की अलग-अलग दरों को अपनाना	
21.10	**गैरजरुरी महंगी बिजली की सजावट (इलेक्ट्रिकल फरनिशिंग)**	**401**
21.11	**गमले में लगे पौधों द्वारा खेल स्थलों को हरा भरा बनाना**	**405**
21.12	**खेल स्थलों के समीप स्ट्रीट फर्नीचर**	**406**
21.12.1	स्ट्रीट फर्नीचर की योजना	
21.12.2	निविदा अनिमियतताएं	
21.12.3	स्थिति	
22	**दिल्ली की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटों के सुधार का काम**	**411**
22.1	**प्रस्तावना**	**412**
22.2	**आयातित लुमिनेरीज का इस्तेमाल**	**413**
22.2.1	आयातित लुमिनेरीज के उपयोग का फैसला	
22.2.2	आयातित लुमिनेरीज के नामांकन का तरीका	
22.3	**लुमिनेरीज की खरीद की ऊंची कीमत**	**416**
22.3.1	आयातित लुमिनेरीज की खरीद की ऊंची दर	
22.3.2	स्वदेशी लुमिनेरीज का पीडब्ल्यूडी द्वारा ऊंची दरों पर खरीद	
22.4	**निविदा में प्रतिबंधक और स्पर्धाविरोधी शर्तें**	**417**
22.4.1	ईओआई में शर्तें	
22.4.2	पीडब्ल्यूडी में काम का विभाजन	
22.4.3	पीडब्ल्यूडी में एक व्यावसायिक संघ की योग्यताओं की जांच में अनियमितता	
22.5	**निविदा प्रक्रिया में खामियां और काम प्रदान करना**	**419**
22.5.1	पीडब्ल्यूडी में निविदा में खामियां	
22.5.2	एमसीडी में काम प्रदान करने में खामियां	
22.5.3	निविदा में खामियां/एनडीएमसी में काम प्रदान करना	

22.6 परियोजना शुरु करने और पूरा करने में हुई देरी 423

22.6.1 पीडब्ल्यूडी में देरी

22.6.2 एमसीडी में देरी

22.6.3 एनडीएमसी में देरी

23 सड़कों के संकेतक 425

23.1 परिचय 426

23.2 निविदा में प्रतिबंधक शर्तें 427

23.3 एनडीएमसी की तुलना में पीडब्ल्यूडी में ज्यादा खर्चीला डिजाइन एवं कार्यान्वयन 429

23.4 अतिरिक्त और स्थानापन्न वस्तुओं ने बढ़ाई लागत 429

23.4.1 एमएस एंगल हटाकर स्क्वॉयर हॉलो सेक्शन (एसएचएस) लगाया जाना

23.4.2 अतिरिक्त मद के तौर पर संकेतकों के पिछले हिस्से, एसीएम से ढंकने के गैरजरुरी काम की मंजूरी

23.4.3 अतिरिक्त मद के रुप में एल्युमिनियम चैनल-ट्रिम को शामिल करने से हुआ बेकार का खर्च

23.4.4 प्रीकास्ट बेंड, बोल्ट्स और एंकर प्लेट्स को अतिरिक्त वस्तु मान कर किया गया अस्वीकार्य भुगतान

23.5 बैरिकेटिंग के काम के लिए ठेकेदार को अनुचित वित्तीय फायदा 433

23.6 दंड न लगाया जाना 433

23.7 काम के लिए भुगतान का रिकॉर्ड नहीं रखा गया 433

24 शहरों के बुनियाादी ढ़ांचे का विकास 435

24.1 परिचय 436

24.2 पुलों और फ्लाई ओवर के निर्माण में ठेकेदार के मुनाफे और चार्जेज (सीपीओएच) का मार्जिन 37.5 फीसदी 438

24.3 निविदा की प्रक्रिया में अनियमितताएं 439

24.3.1 निविदा दस्तावेज के अलावा दूसरे कागजों पर निविदा की बोली को स्वीकार करना

24.3.2 निविदा पर ओवरराइटिंग और करेक्शन की स्याही के प्रयोग के बाद भी बोली को स्वीकार करना

24.3.3 अनियमित तरीके से प्रतिशत दर की निविदा जारी करना

24.4 बीओक्यू में बिना वजह के वस्तुओं को शामिल करना 440

24.5 गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं 441

24.5.1 बारापुल्ला उन्नत सड़क पर इस्तेमाल स्टील में मानकों का पालन नहीं

24.5.2 रिंग रोड बाईपास में स्टील के इस्तेमाल में भी मानकों का पालन नहीं

24.5.3 गुणवत्ता की जांच के लिए पाइल परीक्षण नहीं किया गया

24.6 अनुबंध प्रबंधन 441

24.6.1 संशोधित कीमतों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान की मंजूरी

24.6.2 स्टील के भार को गलत मापने की वजह से 0.35 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

24.6.3 निविदा में बोली के बाद के बदलावों से 1.13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च

24.7 त्रुटिपूर्ण आकलन से हुआ नुकसान 442
24.7.1 त्रुटिपूर्ण आकलनों की वजह से 3.55 करोड़ रुपए की हानि
24.7.2 गलत अनुमानों से 1.34 करोड़ रुपए का टाला जा सकने वाला खर्च
24.8 बिना निविदा के कार्यान्वयन 443
24.8.1 बिना निविदा के 51 करोड़ रुपए का कार्य
24.8.2 बिना निविदा के 11.63 करोड़ का कार्य
24.9 एफओबी पर 8.65 करोड़ का बेकार का खर्च 444
24.10 पीडब्ल्यूडी में सलाहकार की नियुक्ति 445
24.10.1 अपर्याप्त दोष दायित्व प्रावधान व समझौते में सलाहकार की किसी भी तरह की जिम्मेदारी का अभाव
24.10.2 तीसरे पक्ष द्वारा गुणवत्ता गारंटी की भूमिका

25 कनॉट प्लेस का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण 447
25.1 परिचय 447
25.2 बिना वजह के देरी 448
25.3 काम के दायरे में बड़े स्तर पर बढ़ोत्तरी 448
25.4 परियोजना की योजना 450
25.5 यातायात प्रबंधन 451
25.6 अनुबंध प्रबंधन 453

26 अन्य अवसंरचना विकास गतिविधियां 455
26.1 सुरक्षित संचार तंत्र (टेट्रा) 456
26.1.1 परिचय
26.1.2 टेट्रा का चयन और टेट्रा के लिए संविदा
26.1.3 टेट्रा के स्थाई संपदा के तौर पर इस्तेमाल की गलत कल्पना
26.1.4 अन्य स्थाई संपदा उपयोगकर्ता
26.1.5 सीडब्ल्यूजी 2010 के दौरान टेट्रा की उपयोगिता
26.2 सीडब्ल्यूजी -2010 के लिए परिवहन सुविधाएं 460
26.2.1 परिचय
26.2.2 लो फ्लोर बसों की खरीद
26.2.3 सीडब्ल्यूजी-2010 से पहले और उसके दौरान परिवहन सेवाओं में कमी
26.2.4 एलईडी प्रोजेक्ट का अधूरा क्रियान्वयन
26.2.5 सीडब्ल्यूजी-2010 के लिए 60 टाईमकीपिंग बूथ के निर्माण पर गैरजरुरी खर्च
26.2.6 बस क्यू शेल्टर्स (बीक्यूएसएस) के निर्माण प्रक्रिया अपनाने में तदर्थवाद
26.2.7 मनोनयन के आधार पर गैरसरकारी कंपनी डीआईएमटीएस को विभिन्न ठेके देना
26.2.8 मिलेनियम पार्क के सम्मुख एशपॉन्ड पर बस पार्किंग का निर्माण
26.2.9 एनडीएमसी द्वारा सफदरजंग हवाई अड्डे से पार्क एंड राईड सुविधा की रचना

26.3 बिजली सेवाएँ 469

26.3.1 बिजली उत्पादन

26.3.2 बिजली का संचरण

27 राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008, पुणे का संगठन 471

27.1 परिचय 472

27.2 शासन और निरीक्षण ढ़ांचा 473

27.3 बजट और निधिकरण (फंडिंग) पैटर्न 474

27.4 स्थल विकास 474

27.4.1 खेल स्थल सुधार की समीक्षा

27.4.2 सलाहकारों की अनुबंध पर नियुक्ति

27.4.3 मुख्य काम: खेल सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण

27.4.4 निर्माण की गुणवत्ता

27.4.5 लैंडस्केपिंग

27.4.6 गौण कार्य

27.5 सीवाईजी प्रतिभागियों के रहने के लिए बीओटी आधार पर तीन सितारा होटल का निर्माण 478

27.5.1 समीक्षा

27.5.2 भू उपयोग में परिवर्तन और भवन मानकों में छूट

27.5.3 रिहायशी आवास के मुकाबले तीन सितारा होटल बनाने का विचार बाद में व्यर्थ लगना

27.5.4 निविदा शर्तों में क्रमिक छूट

27.5.5 बोली के बाद बातचीत और अनुबंध प्रदान किया जाना

27.5.6 प्रीमियम के भुगतान में चूक

27.6 सीवाईजी-2008, पुणे से सीडब्ल्यूजी-2010 के लिए सबक 485

27.7 इलैक्ट्रॉनिक,खेल और दूसरे उपकरणों की खरीद 487

27.7.1 सामान्य

27.7.2 इलेक्ट्रॉनिक वीडियो स्क्रीन, स्कोरबोर्ड और उपकरणों की खरीद

27.7.3 खरीद में पाई गई अन्य कमियां

27.8 शहरी संरचनात्मक ढांचा 491

27.9 सुरक्षा वाहनों और उपकरणों की खरीद 492

28 मीडिया और प्रसारण सेवाएं 493

28.1 मीडिया और प्रसारण सेवाओं के लिए योजना और बजट तैयार करना 494

28.2 मीडिया और प्रसारण सेवाओं के लिए लागत और अनुमान निर्धारण 495

28.3 प्रसार भारती की प्रसारण सेवाएं 496

28.3.1 एक दृष्टि

28.3.2 खर्च का अनुमान

28.3.3 निर्माण और कवरेज के लिए अनुबंध देना
28.3.4 अनुबंध के प्रबंधन में खामियां
28.3.5 क्यूबीआर की डिलीवरी में खामियां
28.4 खेलों की धरोहर 506
28.5 दूसरे संबंधित बुनियादी ढ़ांचें 507
28.5.1 होस्टल सुविधाओं के उन्नतिकरण में अत्यधिक देरी
28.5.2 खेल स्थल पर प्रसारण सुविधाएं
28.5.3 आईबीसी करार में अनियमितताएं
28.5.4 आईटीपीओ (इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन)
28.6 निरीक्षण और मोनीटरिंग (अनुश्रवण) व्यवस्थाएं
28.6.1 एच बी एम सी की भूमिका
28.6.2 सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) की भूमिका 509
28.6.3 निरीक्षण समिति

29 राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए दूरसंचार सेवाएं 513
29.1 प्रस्तावना 514
29.2 एमटीएनएल का चयन 515
29.3 एयरटेल के काफी बेहतर प्रस्ताव को भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया 516
29.4 तकनीक का चयन 516
29.5 एमटीएनएल द्वारा एचसीएल / सिस्को को एक के बाद एक ठेके देना 518
29.5.1 एकल नेटवर्क में 60 नोड्स लागू करने की आवश्यकता का अनुभव शामिल करने में पक्षपात
29.5.2 दूरसंचार अवसंरचना के मूल्य की उचितता
29.5.3 स्थाई संपदा के रुप में उपयोग की योजना

30 राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए स्वास्थ्य सेवाएं 521
30.1 विंहगावलोकन 523
30.2 प्रारंभिक गतिविधियां 523
30.2.1 योजना
30.2.2 बजट
30.3 खरीद गतिविधियां 524
30.3.1 खरीद प्रक्रिया का पालन
30.3.2 अत्यधिक कीमत वसूली गई
30.3.3 खेलों के लिए इस्तेमाल नहीं हुई मदें
30.4 अनुबंध प्रबंधन मामले 528
30.5 अस्पतालों के लिए सुविधाओं का विकास 529

30.5.1 जीबी पंत अस्पताल के ईडीपी भवन के आपातकालीन खण्ड को स्थापित करने हेतु टर्नकी परियोजना
30.5.2 एम्स में सुविधाएं
30.5.3 आरएमएल अस्पताल में सुविधाएं

30.6 सफदरजंग अस्पताल में खेल के दौरान लगी चोट का उपचार केंद्र 530

30.6.1 विहंगावलोकन
30.6.2 सीडब्लूजी 2010 के पहले एसआईसी द्वारा आंशिक तौर पर काम शुरु करना
30.6.3 एसआईसी भवन के निर्माण में देरी
30.6.4 उपकरणों को लगाए जाने में देरी
30.6.5 एसआईसी के लिए स्टाफ की नियुक्ति में देरी
30.6.6 मौड्यूलर ऑपरेशन थियेटर (एमओटी) और मेडिकल गैस मेनीफोल्ड सिस्टम (एमजीएमएस) के लिए दिए गए काम में अनियमितता

30.7 एम्बुलेन्स सेवाएं 532

30.7.1 पृष्ठभूमि
30.7.2 150 एम्बुलेन्स के लिए दिए गए निविदा और कन्शेसन का दिया जाना
30.7.3 अनुबंध के निष्पादन में असफलता
30.7.4 बीएलएस एम्बुलेन्स की जरुरतों का पूरा नहीं होना

31 सीडब्लूजी 2010 के लिए एकीकृत सुरक्षा तंत्र (आईएसएस) 539

31.1 परिचय 539

31.2 ई.सी.आई.एल. के मंहगे (बढ़े हुए) अनुमानों से ई.सी.आई.एल. को 126.38 करोड़ रुपए का अतिशय (हद से ज्यादा) लाभ 540

31.3 ई.सी.आई.एल को 37 करोड़ रुपए का अधिक नकद अग्रिम भुगतान 541

31.4 जरूरत से ज्यादा उपकरणों की खरीद 542

31.4.1 38.55 करोड़ रुपये के हल्के विस्फोटक का पता लगाने वाले उपकरण पोर्टेबल एक्सप्लोसिव डिटैक्टर्स गलत तरीके से खरीद गए और इस्तेमाल भी नहीं हुए

31.5 आर.एफ.आई.डी. टैग का इस्तेमाल नहीं हुआ 542

31.6 खराब, स्थायी योजना और वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं होना 543

31.7 सीडब्ल्यूजी 2010 के दौरान कादरपुर निशानेबाजी रेंज की सुरक्षा व्यवस्था 543

32 राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारी 545

32.1 प्रस्तावना 547

32.2 संभावितों/स्टाफ के चयन में देरी 547

32.2.1 प्रमुख संभावितों के चयन में देरी
32.2.2 प्रदर्शन की निगरानी
32.2.3 प्रशिक्षकों/सहायक स्टाफ की नियुक्ति में देर
32.2.4 प्रशिक्षण शिविरों का संचालन
32.2.5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए वेब आधारित तंत्र का उपयोगी न होना

32.3 परीक्षण स्पर्धाएं 550

32.4 खेल उपकरणों की खरीद 550

32.4.1 एक ही निविदा के आधार पर खरीद

32.4.2 अनुबंध प्रबंधन

32.4.3 खेल उपकरणों की खरीद में देरी के कारण निष्फल व्यय

32.4.4 5.55 करोड़ रुपए मूल्य के खेल उपकरणों की गैर खरीद

32.4.5 खेल उपकरणों की आवश्यकता के आकलन और योजना में असंगति

32.4.6 1.25 करोड़ मूल्य के अप्रयुक्त भंडार

32.5 अन्य कमियां 557

32.5.1 डोपिंग के लिए अपर्याप्त कार्यक्रम और सम्मेलन

32.5.2 प्रमुख संभावितों के चिकित्सा बीमा में देरी

32.6 अवसंरचना की स्थापना और संबंधित उपकरणों की खरीद में देरी 559

32.6.1 अवसंरचना की स्थापना

32.6.2 खेल विज्ञान उपकरणों की खरीद

32.7 खेल व युवा मामलों के मंत्रालय /साई द्वार निगरानी 561

32.7.1 अपर्याप्त निगरानी

32.7.2 राष्ट्रमंडल खेल प्रकोष्ठ में कर्मियों को नियुक्त नहीं करना

32.8 साई के स्टेडियमों के स्थाई उपयोग की योजना 561

32.9 वित्त प्रबंधन 562

32.9.1 साई मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए निधियों का विपथन

32.10 अन्य रोचक बिंदु 562

33 निष्कर्ष 563

परिशिष्ट 565

शब्दावली 735



प्रस्तावना

नवम्बर 2003 में राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.) की महासभा की बैठक के दौरान, दिल्ली ने 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजित करने का अधिकार हासिल किया। सफल बोली लगाने के बाद नवम्बर 2003 में सी.जी.एफ., भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के आयोजन समिति (ओ.सी.) (जिसे बाद में बनाया गया) के साथ मेजबान शहर अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए, जो कि बाद में एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया।

इस अनुबंध के अनुसरण में, 3 से 14 अक्टूबर 2010 के दौरान दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का सफल आयोजन हुआ। सभी खेल संबंधी समारोह और सहायक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई। देश और इसके प्रबंधन का खेलों के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर अभिनन्दन किया गया। देश ने रिकार्ड 101 पदक जीते, जो कि हमारे द्वारा भाग ली गयी इस तरह की पहले हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा थे। उद्घाटन और समापन समारोह शानदार थे।

हमारे खिलाड़ियों और खेल से जुड़े व्यक्तियों की इस शानदार सफलता के बावजूद, खेलों के संपन्न होने के दौरान घटी कुछ प्रतिकूल घटनाओं ने विपरीत बातों की ओर ध्यान खींचा। अनुबंध दिए जाने, स्टेडियम के निर्माण में देरी, खेल गांव और उससे जुड़ा बुनियादी ढांचा, निम्न गुणवत्ता वाले उपकरणों की खरीद या सामान्य मदों को भी अत्यधिक ऊंचे दामों में खरीद के मामलों में अनियमिततायें पाई गई। दूसरी एजेंसियों की तरह मीडिया ने भी तैयारियों में देरी और अत्यधिक खर्चे के आधार पर सरकार और ओसी के खिलाफ उंगलियां उठाई। सरकारी पैसे के गंभीर दुरुपयोग और अनुबंधों को दिए जाने में पक्षपात किए जाने के अस्पष्ट आरोपों के साथ ही इसमें विभिन्न एजेंसियों के पदों पर बैठे अधिकारियों पर भी आरोप लगे, जो या तो खेलों के आयोजन या फिर स्टेडियम और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी फैसलों में शामिल थे। इस तरह के विपरीत प्रचार ने हमारे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही खेलों के सफल आयोजन को भी कमजोर कर दिया।

यह अनुस्मरण रखा जाये कि वर्ष 2008 के आखिर और वर्ष 2009 की शुरुआत में इस प्रतिष्ठित खेल समारोह के सफल आयोजन के लिए भारत की तैयारियों पर गंभीर चिंता जताई गई थी, और इसकी बड़ी वजह आयोजन स्थलों के निर्माण और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के काम का तय समय सीमा से पीछे चलना था। खेलों का आयोजन एक बहुत बड़ी कवायद थी, क्योंकि इसकी तैयारियों में डी.डी.ए., एन.डी.एम.सी. और एम.सी.डी. जैसे स्थानीय निकायों के अलावा कम से कम बारह एजेंसियां शामिल थीं। खेलों की तैयारियों को लेकर विभिन्न खण्डों में दावे और प्रतिदावे थे।

इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर सी एंड ए जी ने परियोजनाओं की प्रगति और खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों की तैयारियों और इससे जुड़े अर्थपूर्ण खतरों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन करने का निर्णय लिया। यह अध्ययन जो कि पारंपरिक रुप से लेखा परीक्षा नहीं था, प्रशासन को

प्रस्तावना

मदद देने के लिए किया गया था जो विभिन्न कार्यों की प्रगति की संवीक्षा के लिए निर्देशचिन्ह के रूप में हो और इसके आधार पर प्रशासन द्वारा समय रहते इन्हें ठीक किया जा सके। हमारे आफिस की एक कोर टीम द्वारा मार्च और मई 2009 के बीच अध्ययन के बाद, इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करके जुलाई 2009 में खेलों के आयोजन के 15 महीने पहले सरकार को सौंपी गई। अध्ययन रिपोर्ट में दस्तावेजों और सचित्र दोनों रुपों में जुलाई 2009 तक अलग अलग चरणों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति का प्रमाण विस्तार से दिया गया था। रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया था कि अक्टूबर 2010 में खेलों के आयोजन की अंतिम तारीख के निश्चित होने को देखते हुए अब इसमें और ज्यादा देरी किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। अध्ययन रिपोर्ट में यह सलाह भी दी गयी थी कि गतिविधियों और संगठनों की जटिलता और बहुतायत और तब तक हुई प्रगति को देखते हुए खेल परियोजनाओं के साथ ही भविष्य में होने वाले इस तरह के बड़े समारोह के लिए गवर्नेंस के मॉडल पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। रिपोर्ट की प्रतियां इस जटिल खेल परियोजना के निष्पादन से जुड़े सभी अधिकारियों को दी गई थीं।

खेलों के मंचन और आयोजन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और उससे संबंधित गतिविधियों में बरती गई अनियमितताओं और कमियों पर समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रकट की गई चिंता को देखते हुए सी एंड ए जी ने खेलों के पूरा होने के बाद कम से कम समय में बाह्य लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया, ताकि संसद और देश इस दौरान किए गए खर्चों से उत्पन्न हुए परिणामों की स्वतंत्र और वस्तुगत जांच का फायदा उठा सकें। साधारणतया इस तरह की बड़ी कवायद में महीनों का समय लगता है। इसमें बहुतायत में एजेंसियां शामिल थीं और इस दौरान अनेक गतिविधियों और परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि सभी स्टेकहोल्डरों को इस दौरान हुए खर्चों के परिणामों की सूचना देने की तत्काल जरूरत के साथ इन परिणामों को हासिल करने की प्रक्रिया पर आश्वासन देने के लिए, लेखापरीक्षकों की एक समर्पित टीम को खेलों के आयोजन से संबंधित सभी एजेंसियों, पहलुओं और गतिविधियों की व्यापक लेखापरीक्षा का काम सौंपा गया। यह लेखापरीक्षा प्रकृति में व्यापक थी, इसमें खेल परियोजनाओं के संदर्भ में भारत सरकार के कई मंत्रालय और विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ओ.सी. और कई दूसरे निकायों की भूमिका और गतिविधियों के दौरान नियमों का पालन और प्रदर्शन दोनों ही शामिल थे। इस रिपोर्ट में मई 2003 जबकि खेलों के आयोजन के लिए प्रारंभिक निविदा दी गई थी, से लेकर दिसम्बर 2010 तक जबकि खेलों से संबंधित अधिकतर परियोजनाएँ और गतिविधियां पूरी हो चुकी थी, के दौरान लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह पूरी प्रक्रिया काफी बड़ी थी, हमने लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के दौरान कुशल और भावशून्य प्रक्रिया का पालन किया, जिसमें हमने सभी जरुरी ब्यौरों पर विचार करने के साथ ही लेखापरीक्षा से गुजर रहे निकायों को लेखापरीक्षा के परिणामों पर प्रतिक्रिया और टिप्पणी करने का मौका भी दिया।

सी एंड ए जी संस्था द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के दौरान, एक बहुत ढांचागत, सुनियोजित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, जिसमें संतुलित और निष्पक्ष लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि संबंधित संस्थाओं और क्षेत्रों और उनसे जुड़े हुए सभी तरह के क्रियाकलापों का नियम पूर्वक आडिट किया जा सके। लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार थी–

प्रस्तावना

व्यापक कवरेज और परिणामों में निरंतरता बनाए रखने के लिए फील्ड लेखापरीक्षा के वास्तविक रूप र` शुरू होने के पहले, विभाग ने दिशानिर्देशों और जांच सूची का एक विस्तृत सेट तैयार किया। व्यापक लेखा परीक्षा दृष्टिकोण और लक्ष्यों पर भागीदारी के साथ ही लेखापरीक्षा कराने के लिए जरुरी मदद और सहयोग के लिए आमतौर पर लेखापरीक्षा कराने वाले संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय आगमन बैठक का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण और संतुलित कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इस बैठक में इन संस्थानों द्वारा उठाए गए सुझावों और मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसके बाद फील्ड लेखापरीक्षा शुरु होती हैं जिसमें रिकार्डों और दस्तावेजों की जांच पड़ताल, आयोजन स्थलों का भौतिक निरीक्षण (जिसमें साक्ष्यों के रूप में फोटोग्राफ्स का संग्रह भी शामिल है) और जरूरत के अनुसार चुनिंदा अधिकारियों और व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श शामिल है। रिकार्डों, सूचना और स्पष्टीकरण के लिए लेखापरीक्षा मांग पत्र जारी किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ज्ञापन/प्रश्नों (जिन्हें हाफ मार्जिन भी कहा जाता है) के जरिए प्रारंभिक लेखा परीक्षा अवलोकनों को लेखापरीक्षा करवा रही एजेंसी के उचित स्तरों द्वारा उनकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है। प्रारंभिक लेखापरीक्षा अवलोकनों और प्रतिक्रियाओं के परीक्षण के बाद, लेखापरीक्षा के मसौदे को या तो तथ्यों की विवरणियों (एस.ओ.एफ.) या फिर मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए लेखापरीक्षा का सामना कर रही संस्था के प्रमुख को बताकर, लिखित में इसका जवाब मांगा जाता है। लेखापरीक्षा का सामना कर रही संस्था के प्रमुख के स्तर पर समापन बैठक का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है। एस.ओ.एफ./ मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट का जवाब मिलने के बाद ही लेखापरीक्षक अपने निष्कर्षों को अंतिम रुप देते हैं और लेखापरीक्षा रिपोर्ट, राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखे जाने के लिये तैयार करते हैं।

हालांकि ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि बाह्य लेखापरीक्षा एक शवपरीक्षा के समान हैं जिसे काम के हो जाने के काफी समय बाद किया जाता है, लेकिन इस मामले को एक सही दृष्टिकोण के साथ देखे जाने की जरुरत है। सी.एंड ए.जी. द्वारा जिस तरह की बाह्य लेखापरीक्षा की जाती है, उसे वास्तव में काम खत्म होने के बाद किया जाता है। इस तरह से यह आंतरिक लेखापरीक्षा से अलग है, जो कि परिभाषा के अनुसार समरूपी है। हमारी रिपोर्ट की प्रभाविकता और समयसीमा ज्यादातर लेखापरीक्षित संस्थानों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दिखाई गई तत्परता पर निर्भर करती है, जिसके तहत फाइल और दस्तावेज उपलब्ध कराना, लेखा ज्ञापनों और एस.ओ.एफ. के जवाब और समापन सम्मेलन का आयोजन शामिल है। ज्यादातर एजेंसियां हर स्तर पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करती हैं। चीजों को सही रखने और एजेंसियों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त मौका देने के लिए ज्यादातर मौकों पर समय सीमा को उचित स्तर तक बढ़ा दिया जाता है।

सीडब्ल्यूजी 2010 की लेखापरीक्षा को संपन्न करने में लेखापरीक्षा टीम ने फील्ड लेखापरीक्षा पूरी करने में सराहनीय काम किया, जिसके अंतर्गत, उन्हें दी गयी 90 दिनों की समयसीमा में बहुतायत में दस्तावेजों की जांच पड़ताल का चुनौतीपूर्ण काम भी शामिल था। हालांकि रिपोर्ट को तैयार करना और अंतिम रूप देना, विभिन्न संस्थानों द्वारा फाइलों, दस्तावेजों और रिकार्डों के देने में लगने वाले समय पर पूर्णतया निर्भर था और जब लेखा परीक्षा परिणामों को लेखापरीक्षित संस्थानों को बताया जाता था, तो पूर्ण और विस्तृत प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने में

प्रस्तावना

लगने वाले समय पर भी निर्भर करता था। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों की तैयारी में, सभी लेखापरीक्षित एजेंसियों को अपनी सफाई देने या अपनी तरफ के तथ्यों से अवगत कराने का पर्याप्त मौका दिया गया था। अतिरिक्त समय के निवेदनों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए मंजूर किया गया था कि किसी प्राधिकरण या व्यक्ति को ऐसा गलत अनुभव न हो कि उसे तथ्यों को प्रस्तुत करने का उचित मौका नहीं दिया गया। इस तरह समय को बढ़ाने से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में कुछ हफ्तों की देरी हो सकती है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि उन सबको एक उचित मौका देना चाहिए, जिन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंतिम निष्कर्ष और उनका दायित्व पूर्णतया इस विभाग पर है। लेखापरीक्षा पर इस बात का भी दबाव रहता है कि इसकी रिपोर्ट जनता को संसद के दोनों सदनों में रखे जाने के बाद ही उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस मामले की प्रकृति और विषय के आधार पर बनाया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि सभी स्टेकहोल्डर सीडब्ल्यूजी 2010 के मंचन और आयोजन की विशाल कवायद की इस संतुलित रिपोर्टिंग और व्यापक कवरेज को समझेंगे। जबकि रिपोर्ट काफी हद तक व्यापक है, यह खेल परियोजना से जुड़े संगठन और प्रबंधन के कुल व्यवहार से जुड़े मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। दूसरे मामले और मुद्दे जो कि एजेंसी के विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित हैं, को उनके आर्थिक पहलू और महत्व के अनुसार अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और निरीक्षण रिपोर्टों के जरिए सूचित किया जाएगा।

कई परियोजनाओं, कार्यों और अनुबंधों को अभी भी पूरा किया जाना बाकी है। परिणामस्वरूप, अंतिम बिल अभी तक नहीं मिल पाए हैं और उनका भुगतान किया जाना बाकी है। इन भुगतानों की वजह से खेलों की अंतिम लागत पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। लेखापरीक्षा द्वारा इन्हें बाद में होने वाली लेखापरीक्षाओं में शामिल किया जाएगा।

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

3 से 14 अक्टूबर 2010 के बीच दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों (सी.डब्ल्यू.जी.-2010) का सफल आयोजन किया गया। ये खेल भारत में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहु -खेल प्रतियोगिता रहे। इन खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेल संघों (सी.जी.ए.) के 4336 खिलाड़ियों और 2115 अधिकारियों ने, 17 तरह की खेल प्रतियोगिताओं और 4 विशेष-खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। यद्यपि सीडब्ल्यूजी 2010 में आस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा भारत ने अपना अब तक का सर्वोच्च प्रदर्शन किया, भारत को 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक हासिल हुए।

सीडब्ल्यूजी 2010 के आयोजन का अधिकार दिल्ली को देने का निर्णय नवंबर 2003 में भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) द्वारा मई 2003 में दायर बोली के आधार पर हुआ। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) द्वारा संयुक्त रूप से पूरी वित्तीय जिम्मेदारी वहन करने का आश्वासन दिया गया और खेलों में खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को भी वहन करने की लिखित गारंटी दी गई।

जुलाई 2009 में हमने भारत सरकार को सीडब्ल्यूजी 2010 की तैयारियों के बारे में एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी। इस अध्ययन रिपोर्ट का मकसद कार्यकारी अधिकारियों को निरीक्षण और खेल आयोजन के लिए बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण की तैयारियों के बारे में अवगत कराना और यथासमय सुधार हेतु उचित कदम उठाने के लिए एक आधार प्रदान करना था।

सीडब्ल्यूजी 2010 की वर्तमान लेखापरीक्षा की प्रकृति काफी विस्तृत है और खेल तैयारियों पर हमारी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर इसमें सिफारिशों और प्राप्त जानकारियों का उल्लेख किया गया है। इस लेखापरीक्षा में मई 2003 (जब बोली दाखिल की गई) से दिसंबर 2010 में खेल समाप्त होने तक के बीच की समयावधि एवं अन्य विविध गतिविधियों का जिक्र है और इसके दायरे में खेलों के आयोजन के अलावा खेल स्पर्धास्थलों का निर्माण, खेल गांव, शहर में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण की परियोजनाओं और अन्य संबंधित/सहयोगी कार्यों को भी शामिल किया गया है। जिनका कार्यान्वयन विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किया गया।

हमने अगस्त और दिसंबर 2010 के बीच कार्यस्थलों की जांच का अपना काम समाप्त किया, संबंधित एजेंसियों के साथ उद्घाटन और समापन सम्मेलन आयोजित किए और उन एजेंसियों को जानकारियों का विस्तृत ब्यौरा (एस.ओ.एफ.) उनके जवाब और टिप्पणी के लिए सौंपा। जिन पर इस रिपोर्ट में उचित तरीके से विचार किया गया है। हमारे मुख्य निष्कर्षों का सार निम्नलिखित पैरों में दिया गया है। जिनकी विस्तृत जानकारियां संबंधित अध्यायों में हैं।

सुशासन (गवर्नेंस)

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.)वचन देकर संयुक्त रुप से सितंबर 2003 में आयोजक शहर समझौते (एच.सी.सी.) का हिस्सा बने, जब उन्होंने खेल आयोजन की संपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार की और खर्च और आमदनी के बीच के अंतर को वहन करने का भी लिखित आश्वासन दिया। ये तथ्य भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दिल्ली में सीडब्ल्यूजी 2010 के आयोजन का जिम्मा मिलने में सबसे अहम कड़ी है। हेमिल्टन, कनाडा द्वारा लगाई गई बोली में वहां की संघ अथवा राज्य सरकारों द्वारा कोई वित्तीय गारंटी नहीं दी गई थी और न ही वे आयोजक शहर समझौते (एच.सी.सी.) का हिस्सा थे। इस तरह से भारत के संदर्भ में ये खेल आयोजन राष्ट्रीय संपत्ति थे न कि केवल भारतीय ओलंपिक संघ की। लेकिन बाद में आयोजन समिति (ओ.सी) के संविधान में इस तथ्य को उचित तरीके से शामिल नहीं किया गया।

हमारे विचार में खेल परियोजना के साथ जुड़ी तमाम एजेंसियों के निरीक्षण और प्रबंधन का कार्य एक ही जिम्मेदार और केंद्रीकृत संस्था को सौंपा जाना चाहिए था जिसे खेल आयोजन के उचित खर्चे और पूरी गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए समय पर सारा काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती। और इस तथ्य को देखते हुए कि इसमें सरकारी गारंटी की अहम भूमिका थी, ये जिम्मेदारी किसी सरकारी संस्था के पूर्ण नियंत्रण में होनी चाहिए थी। लेकिन खेल परियोजना के वित्तीय नियंत्रण और प्रबंधन के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया।

हालांकि मई 2003 के बोली दस्तावेज में आयोजन समिति (ओ.सी.) को एक सरकारी स्वामित्व वाली पंजीकृत सोसायटी के रुप में दर्शाया गया था जिसमें आयोजन समिति (ओ.सी.)के कार्यकारी बोर्ड (ई.बी.)में चेयरमैन का पद सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को दिया जाना तय था और भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) के चेयरमैन को इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया जाना था। लेकिन फरवरी 2005 में आयोजन समिति (ओ.सी.) को एक गैर सरकारी पंजीकृत सोसायटी के तौर पर बनाया गया और भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी को आयोजन समिति (ओ.सी.) की कार्यकारी समिति (ई.बी.)का चेयरमैन बनाया गया। ये बदलाव कई घटनाचक्रों से होकर गुजरा जिसका जिक्र दिसंबर 2003 में बने एक अपडेटेड बिड नाम के दस्तावेज में किया गया था (जिसका कोई कानूनी आधार नहीं था)। ये –अपडेटेड बिड – जिसकी तिथि दिसम्बर 2003 थी, सितंबर 2004 में जाकर सामने आई अर्थात आईओए द्वारा निविदा जमा कराने की तिथि के 16 महीने बाद और उस निविदा के सफल घोषित होने की तिथि के 10 महीने बाद। तत्कालीन खेल और युवा मामलों (वाई.ए.एस.) के मंत्री स्वर्गीय श्री सुनील दत्त के गंभीर विरोध के बावजूद दिसंबर 2004 में प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिश के आधार पर श्री कलमाडी को आयोजन समिति (ओ.सी.) का अध्यक्ष बना दिया गया। इस फैसले ने मूल रुप से सरकार नियंत्रित आयोजन समिति की प्रकृति को बदल कर इसे सरकारी नियंत्रण से बाहर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसकी सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी और जिसमें सरकार की ओर से पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था (जबकि इसमें सरकार द्वारा पूरी वित्तीय गारंटी और निधिकरण शामिल थे)। 2007 में तत्कालीन खेल और युवा मामलों (वाई.ए.एस.)के मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर और खेल और युवा मामलों के मंत्रालय (एम.वाई.ए.एस.) में सचिव स्वर्गीय श्री एस के अरोड़ा द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय(पी.एम.ओ.) और कैबिनेट सचिवालय के साथ जब इस मुद्दे को उठाया गया कि आयोजन समिति (ओ.सी.) पर मंत्रालय (एम.वाई.ए.एस.) का कोई नियंत्रण

नहीं है, इस पर आयोजन समिति (ओ.सी.) के चेयरमैन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और आखिरकार मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया।

जिम्मेदारी और अधिकार का एक केन्द्रबिन्दु न होने और स्पष्ट सुशासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में अलग अलग वक्त पर कई समन्वय समितियों का गठन किया गया, उन्हें भंग किया गया और पुन: उनका गठन किया गया। यह दृष्टिकोण सुव्यवस्थित, अनुकूल और प्रभावी नहीं था और इसने जिम्मेदारी का अनावश्यक विस्तार करके इसे पूरी तरह से अस्पष्ट कर दिया। मेलबोर्न में आयोजित हुए सीडब्ल्यूजी 2006 के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जहां पर विक्टोरियाई सरकार ने इन खेलों की योजना और संचालन के लिए एक विशेष कैबिनेट समिति का गठन किया था। राष्ट्रमंडल खेलों के मंत्री को राष्ट्रमंडल खेल व्यवस्था अधिनियम 2001 के तहत पूरी शक्तियां और जिम्मेदारी दी गई।

यद्यपि अक्टूबर 2009 के बाद आयोजन समिति (ओ.सी.) की प्रशासन व्यवस्था में कुछ बदलाव जरूर हुए लेकिन ये उपाय त्वरित और आपातकालीन प्रकृति के थे संभवत वास्तविक प्रभावी कदम केवल अगस्त 2010 के आसपास उठाए गए, जिन्होंने अंतिम रूप से खेलों के आयोजन को सुनिश्चित किया। अगर खेल आयोजन की प्रशासन व्यवस्था की संरचना पर असरदार तरीके से समय रहते एक केंद्रीकृत जिम्मेदारी और अधिकार के साथ कार्यवाही कर दी जाती जैसी कि अगस्त 2010 में की गई दिखाई देती है, तो खेल आयोजन के संचालन में इतनी परेशानी न होती और सारी प्रक्रिया जिम्मेदारी पूर्वक और सुचारु रुप से होती।

(अध्याय 4)

योजना

नवंबर 2003 में दिल्ली को सी.डब्ल्यू.जी.-2010 सौंपे जाने और अक्टूबर 2010 में इसके वास्तविक आयोजन के बीच सात साल का लंबा फासला था जिसका उचित इस्तेमाल नहीं किया गया। नवंबर 2003 से मध्य 2006 तक के समय को योजना बनाने, उसे मंजूरी दिये जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जो बिल्कुल बेकार गया। यहां तक कि खुद आयोजन समिति (ओ.सी.) का पंजीकरण भी फरवरी 2005 में जाकर करवाया गया। जबकि ओसी ने जुलाई 2006 में जाकर ईकेएस को खेल आयोजन स्थलों से संबंधित संक्षिप्त ब्यौरे और खेल आयोजन स्थल योजनाएं तैयार करने के लिए सलाहकार के रुप में नियुक्त किया। इसके बाद तो सभी कार्यक्रमों में देरी होती चली गई और सभी वापसी ब्यौरों, संकल्पनात्मक डिजाइनों और विस्तृत डिजाइनों और खेल स्थलों की ड्राइंग इत्यादि पर काम उसके बाद ही शुरु हो पाया। इसके बाद भी, आयोजन समिति (ओ.सी.) और अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा उन खेल स्थलों के लिए विनिर्देशों और डिजाइनों में संशोधन और बदलाव किए जाते रहे।

इस तरह से पूरे खेल आयोजन की योजना, जिसमें आम संगठनात्मक संरचना,खेल स्पर्धाओं का मास्टर प्रारूप, विभिन्न कार्यस्थलों के लिए कार्यान्वयन की योजनाएं सम्मिलित थीं, में इसके बाद बहुत अधिक देरी हो गई। सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए जरूरी शहर के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की विस्तृत योजना में भी इसी तरह से देरी हुई।

(अध्याय 5)

वित्तीय प्रबंधन

मई 2003 में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा बोली दायर करते वक्त और सितंबर 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और घाटे की पूर्ति की गारंटी दिए जाने के वक्त भी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि खेल आयोजन का कुल खर्च कितना होगा। मई 2003 की आईओए की बोली में कुल खर्च 1200 करोड़ रुपए का (खेल आयोजन में खर्च और राजस्व का अंतर निकालने के बाद) अनुमानित था। इसके विपरीत सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.)और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) का संयुक्त बजट अनुमान (एमसीडी, एनडीएमसी और अन्य एजेंसियों को शामिल कर) अक्टूबर 2010 तक 18,532 करोड़ रुपए निकला। इसमें दूसरी एजेंसियों द्वारा सहयोगी बुनियादी ढ़ांचे पर (डीएमआरसी और एएआई/डायल) किया गया खर्च शामिल नहीं है।

मई 2003 की निविदा में बिना किसी आधार के बनाए गए अत्यधिक संकुचित और अवास्तविक मूल बजट आकार की वजह से सितंबर 2010 तक इस बजट में बहुत छोटे अन्तरालों पर बार-बार संशोधन किया जाता रहा जो इस बात का सबूत है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में हर खर्च की मंजूरी के लिए विचार करने /स्वीकृति प्राप्त करने का दृष्टिकोण अपनाया गया। इस बढ़े हुए खर्च की अन्य मुख्य वजह हर स्तर पर हुई देरी थी (इसमें सरकार (जी.ओ.आई.)द्वारा अनुदान की राशि की मंजूरी में देरी भी शामिल है)। परिणामस्वरूप जैसे-जैसे अंत समय निकट आता गया कार्यों का ढेर लगता चला गया, जिससे खर्चे बढ़ते गए।

खेलों के लिए किसी एक केन्द्रीय जिम्मेदार संस्था की अनुपस्थिति और गंभीर हो गई जब मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) की वित्तीय उप-समिति को भंग कर दिया गया जो इन खेलों (सी.डब्ल्यू.जी.) से संबंधित सभी वित्तीय फैसलों के लिए विशेष ई.एफ.सी. की भूमिका निभा सकती थी। इस वजह से खर्च के अनुमान और बजट की मंजूरी की प्रक्रिया में ढिलाई का एक और सबूत मिलता है।

हमें भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की ओर से भी अनुदानों की बजट संबंधी और वित्तीय मंजूरियों में देरी के कई उदाहरण मिले। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर प्रस्ताव की जांच काफी बारीकी से की जानी चाहिए क्योंकि इसमें सरकारी धन का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन इसके बाद इसकी संसाधन और मंजूरी की प्रक्रिया को त्वरित प्रभाव से आगे बढ़ाया जा सकता था (चूंकि काफी देर पहले ही हो चुकी थी)। इन लगातार देरियों के कारण कार्यान्वयन के चरण पर समय की अत्यधिक कमी हो गई।

(अध्याय 6)

आंतरिक नियंत्रण और आयोजन समिति (ओ.सी.) में निर्णय प्रक्रिया

आयोजन समिति के भीतर आंतरिक नियंत्रण के वातावरण और फैसले लेने की प्रक्रिया में काफी व्यवस्थागत खामियां रहीं, इस सब कार्य के लिए उपलब्ध ढांचा अत्यधिक अपर्याप्त था। आयोजन समिति में दस्तावेजों के ब्यौरे इतने अपर्याप्त थे कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए न ही उन दस्तावेजों की सत्यता और उनके रिकार्ड की पूर्णता का कोई प्रमाण ही हमें मिल पाया। आयोजन समिति द्वारा अनुबंधों का प्रबंधन अनियमित और खामियों भरा था।

अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों की हालत इतनी खराब थी कि हमें इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि कितने चरणों में निविदा की प्रक्रिया पूरी हुई, कुल कितने अनुबंध जारी किए गए और कितने कार्यादेश बनाए गए। हम इस बात का भी पता नहीं लगा सके कि हर अनुबंध में कितना भुगतान किया गया और अभी कितनी देनदारी शेष थी।

कई संवेदनशील अनुबंधों / मामलों के संसाधन का जिम्मा मनमाने तरीके से और तदर्थ आधार पर ऐसे लोगों को सौंप दिया गया जिनका संबंधित कार्यक्षेत्र से कोई वास्ता नहीं था। इस तरह के कार्यों से आवश्यक सावधानी और जांच की प्रक्रिया कमजोर हो गई और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 2010 में ऊंची लागत वाले अनुबंधों का ढेर लग गया खासतौर पर दूसरी और तीसरी तिमाही में। हर अनुबंध को अनियमित तरीके से दिए जाने के पीछे समय की कमी का बहाना बार-बार दिया गया। हमने पाया कि कई मामलों में एक ही बोली के आधार पर निविदा दी गई, नामांकन के आधार पर काम सौंपे गए, कई अयोग्य ठेकेदारों को अनुबंध दे दिए गए, कई मामलों में किसी खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए निविदा की पूर्व शर्तों (पी.क्यू.) में अनियमित तरीके से बाध्यकारी प्रावधान शामिल किए गए, बोली लगाने के लिए कम वक्त दिया गया, निविदा को कई बार रद्द कर दोबारा निविदा की गई, और अंतिम करार देने में बिना किसी आधार के अस्पष्ट देरी की गई जिससे पारदर्शिता और खर्च के साथ गंभीर समझौते करने पड़े। इसके अलावा विभिन्न समझौतों के प्रबंधन और बाहरी सलाहकारों, और परामर्शदाताओं की नियुक्ति में भी गंभीर खामियां पाई गई।

हमने ये भी पाया कि आयोजन समिति (ओसी) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संबंध काफी अस्पष्ट थे जिसकी वजह से आयोजन समिति और भारत सरकार की कीमत पर भारतीय ओलंपिक संघ को विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रुप में काफी अनियमित फायदा पहुंचा।

(अध्याय 7)

आयोजन समिति द्वारा राजस्व की प्राप्ति

आयोजन समिति ने हर वक्त ये प्रदर्शित किया कि खेलों के आयोजन में राजस्व के द्वारा यदि फायदा नहीं भी होता, तो भी नुकसान का सवाल नहीं उठता। इस तर्क का इस्तेमाल आयोजन समिति की स्वतंत्रता और वित्तीय स्वायत्तता को न्यायोचित ठहराने के लिए किया गया। लेकिन खेल आयोजन की राजस्व के मोर्चे पर तटस्थता गंभीर रुप से दोषपूर्ण रही क्योंकि इसके पक्ष में कोई ठोस राजस्व का अनुमान नहीं मिल पाया। वास्तव में मार्च 2007 और जुलाई 2008 में खेल आयोजन से राजस्व का अनुमान 900 करोड़ रुपए से 1780 करोड़ रुपए तक आश्चर्यजनक रुप से पहुंच गया। हमारे विचार में राजस्व के अनुमान में इस जबरदस्त बढ़ोत्तरी (प्रायोजकों और दान के रूप में मिलने वाली राशि को बढ़ा चढ़ा कर) का मकसद ही यही था कि बढ़ते हुए खर्च से कदमताल मिलाते हुए खेल आयोजन को राजस्व तटस्थ दर्शाने का मकसद पूरा किया जा सके। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया और आयोजन समिति द्वारा दिए गए इन अनुमानों पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया गया। वास्तव में आयोजन समिति को 682.06 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई जिसके मुकाबले आयोजन समिति को (अगर राजस्व जुटाने के खर्चे को निकाल दिया जाए तो) केवल 173.96 करोड़ रूपए की शुद्ध राजस्व प्राप्ति हुई।

राजस्व प्राप्ति के सभी तरीकों के मोर्चे पर आयोजन समिति की ओर से लगातार काफी खराब प्रदर्शन किया गया। उदाहरण के तौर पर :-

- आयोजन समिति स्पांसरशिप के जरिए केवल 375.16 करोड़ रुपए जुटा सकी (जबकि इसका लक्ष्य 960 करोड़ रुपए का था) जिसका 67 फीसदी सरकारी एजेंसियों अथवा पीएसयू कंपनियों से आया। लाइसेंसिंग अधिकार और मार्केटिंग के जरिए कुछ भी आमदनी नहीं जुटाई जा सकी। प्रायोजन और लाइसेंसिंग अधिकारों/ मार्केटिंग के लिए सलाहकार के तौर पर एसएमएएम की नियुक्ति में भी काफी अनियमितताएं पाई गईं क्योंकि ये एकमात्र वित्तीय बोली के आधार पर की गई। इस फैसले को राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के अध्यक्ष की सिफारिश के आधार पर लिया गया और अंतरराष्ट्रीय अनुभव को अनुचित तरीके से तरजीह दी गई (जबकि देश के भीतर उपलब्ध अपार योग्यता की अनदेखी की गई।) आयोजन समिति ने एसएमएएम द्वारा किए गए खराब प्रदर्शन से खेलों के आयोजन तक कुछ नहीं सीखा और अगस्त 2010 में जाकर कंपनी का अनुबंध रद्द किया गया।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसारण अधिकारों का पूरा वाणिज्यिक फायदा नहीं उठाया जा सका और इसका प्रबंधन काफी खराब रहा। राष्ट्रीय प्रसारण अधिकार के लिए आयोजन समिति और प्रसार भारती के बीच करार केवल 23 सितंबर 2010 को किया गया जिससे आयोजन समिति को केवल 24.70 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति हुई। अंतरराष्ट्रीय प्रसारण अधिकार के लिए आयोजन समिति ने केवल 213.46 करोड़ रुपए में करार किया लेकिनअभी तक केवल 191.40 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं।

- टिकट बिक्री के जरिए राजस्व प्राप्ति के मोर्चे पर भी आयोजन समिति का प्रदर्शन काफी खराब रहा। टिकट बिक्री से कुल मिलाकर केवल 39.17 करोड़ रुपए ही मिल पाए (जबकि लक्ष्य 100 करोड़ रुपए का था)। टिकट बिक्री के लिए सलाहकार की नियुक्ति और टिकट बिक्री एजेंसी को तय करने में काफी देरी हुई और टिकटों की बिक्री का काम केवल सितम्बर 2010 में ही शुरु किया जा सका। ऊंची दर की उपहार स्वरूप (मुफ्त) टिकटों का वितरण अत्यधिक उदारता पूर्वक किया गया (जिनकी मात्रा मैनचेस्टर और मेलबोर्न में हुए पूर्व सी.डब्ल्यू.जी. खेलों की तुलना में करीब तीन गुना थी।)। आयोजन समिति ने टिकटों की कीमत का दायरा काफी बढ़ा दिया जो सलाहकार की सिफारिशों से अलग था जिसकी वजह से काफी कम मात्रा में टिकट बिक पाए। (खास तौर पर जिनकी कीमत ज्यादा थी।)

- आयोजन समिति ने जुलाई 2008 में डोनेशन / रैफल के जरिए 300 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा लेकिन वास्तविक प्राप्ति महज 0.99 करोड़ रुपए ही रही ।

(अध्याय 8)

खेलों की योजना, सलाह कार्य और ओवरलेज

2005-2008 के दौरान इवेन्ट नॉलेज सर्विसेज (ईकेएस) को पांच सलाहकार अनुबंध सौंपे गए जिसमें खेल स्थलों के मूल्यांकन / संक्षिप्त ब्यौरों को तैयार करने, परियोजना के निरीक्षण, खेलों की योजना, और कार्यबल से संबंधित कार्य (जिसे ईकेएस के एक संघ को दिया गया) शामिल थे। इसमें से तीन अनुबंध नामांकन के आधार पर ईकेएस को दिए गए जिसमें राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ से इसे (क्योंकि ईकेएस के साथ इसका

करीबी संबंध था) जबरदस्त संरक्षण मिला। बाकी दो निविदाओं की शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए जिससे ईके एस को अनुबंध सौंपा जा सके और जो ई के एस के लिए सुविधाजनक हों। हम इस बात को भी सत्यापित नहीं कर पाए कि इतनी अधिक संख्या में अनुबंधों की क्या जरूरत थी और इन करारों में कहीं एक ही जैसे कार्यक्षेत्र तो शामिल नहीं थे।

खेल स्थलों के ओवरलेज की योजना और दायरे से संबंधित काम में ही आयोजन समिति ने अत्यधिक देरी कर दी और इन्हें पूरा करने के लिए जून 2009 तक का समय ले लिया जिसके बाद ओवरलेज मदों की खरीद की जिम्मेदारी कार्यस्थलों के मालिकों के हाथों से निकलकर आयोजन समिति के हाथों में आ गई। इसके बाद तो आयोजन स्थलों के लिए ओवरलेज की खरीद के अनुबंध सौंपने के लिए अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ही अनियमितताओं से भरी रही। ओसी ने बिना किसी आधार के वस्तु दर वस्तु खरीद के बदले (जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है) आयोजन स्थलों के लिए सामूहिक आधार पर खरीदारी का फैसला लिया जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय किया गया था। समूहों के आधार पर तय किया गया ये फारमूला और साथ में निविदा की शर्तों में बदलाव के जरिए प्रतिस्पर्धा को कम करने का प्रयास किया गया क्योंकि इसमें ठेकेदारों की संख्या काफी कम हो गई थी। इसके बाद इन शर्तों को असंगत तरीके से, चुन चुनकर प्रतियोगियों को हटाने में इस्तेमाल किया गया। परिणामस्वरूप इन चुनिंदा और बिना किसी एक समान नीति की शर्तों की वजह से केवल चार संघों को ही तकनीकी तौर पर योग्य घोषित किया गया। इसमें ईएसएजेवी-डी-आर्ट-इंडो, पिको - दीपाली, नुस्ली और जीएल-मेरोफार्म शामिल थे। इन सभी संघों की व्यावसायिक बोलियां उन्हीं आयोजन स्थलों के लिए न्यूनतम रहीं जो इनकी पहली और दूसरी प्राथमिकता थे। ऐसा संयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि इन ठेकेदारों में पहले से किसी तरह का कोई समझौता हो सकता है।

इन ओवरलेज अनुबंधों पर काफी ऊंची दरों पर हस्ताक्षर किये गए जिससे आयोजन समिति (भारत सरकार) को काफी ज्यादा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि (प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर) हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि वास्तव में कुल कितना नुकसान हुआ। लेकिन हमने कई अलग अलग आधार पर (उदाहरण के तौर पर कस्टम को दी गई दरों और हर समूह में वस्तुवार और ठेकेदारों की आपूर्ति दरों की तुलना के आधार पर) नुकसान का आकलन करने की कोशिश की है।

(अध्याय 9)

समारोह

क्वीन्स बेटन रिले (क्यूबीआर) और उद्घाटन तथा समापन समारोह (जो कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने के मुख्य समारोह थे) सीडब्ल्यूजी-2010 के मुख्य समारोह थे। हमने देखा कि समारोहों की काफी प्रशंसा की गई, खास कर उद्घाटन समारोह ने शानदार सफलता अर्जित की। तथापि हमें विभिन्न समारोहों हेतु ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति में कई अनियमितताएं मिलीं।

29 अक्टूबर 2009 को क्यूबीआर लांचिंग समारोह के संबंध में हमने पाया कि बिना किसी आधार के जेएमडब्ल्यू (एजेंसी जिसे क्यूबीआर लांचिंग का जिम्मा दिया गया था) के काम के दायरे को अक्टूबर 2009 में काफी कम कर दिया गया (और इसका खर्च बढ़ा दिया गया।) इसके साथ ही, आयोजन समिति ने 386,237 पाउंड का अत्यधिक संदिग्ध भुगतान दो छोटी अंजान सी कंपनियों - ए. एम. फिल्म्स यूके लिमिटेड और एएम कार एंड वैन हायर लिमिटेड को किया, जिनका क्यूबीआर लांचिंग समारोह से प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना देना नहीं

था। इस तरह से काम का सौंपा जाना और उसके बाद उसके लिए किया गया भुगतान गंभीर सवालों के घेरे में आते हैं। इससे जुड़ी मंजूरियों के दिए जाने और संबंधित भुगतान में जरूरत से ज़्यादा जल्दी दिखाई गई। भुगतान का काफी बड़ा हिस्सा कैश में दिया गया, शायद इस उद्देश्य से जिससे भुगतान का पता न लगाया जा सके। इस संदर्भ में श्री टी एस दरबारी और श्री संजय महेन्द्रू जो आयोजन समिति के समारोह कार्यक्षेत्र से असंबद्ध थे, की क्यूबीआर उद्घाटन समारोह में भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है।

हमें ये भी पता चला कि उद्घाटन और समापन समारोह की तैयारियों की योजना में काफी देरी की गई। इसके अलावा कई तरह की एजेंसियों को अनुबंधित किया गया, जिसमें श्री भारत बाला को क्रिएटिव डायरेक्टर/ कंसल्टेन्ट, स्पैकटेक प्रोडक्शन्स(श्री रिक बिर्च) को अंतरराष्ट्रीय सलाहकार,विजक्राफ्ट को इवेन्ट मैनेजमेंट फर्म और 17 अन्य को सलाहकार का कार्य सौंपा गया। इन सभी एजेंसियों के काम के दायरे और जिम्मेदारियां काफी हद तक एक जैसी ही थीं। हमने ये भी पाया कि स्पैकटेक प्रोडक्शन और विजक्राफ्ट ने करार से पहले ही दूसरे विशेषज्ञों से अनुबंध कर रखा था इस तरह से आयोजन समिति की लागत पर अतिरिक्त सलाहकार के साथ अनुबंध के रूप में विजक्राफ्ट को (कम से कम 6.12 करोड़ रुपए के भुगतान का) स्पष्ट वित्तीय फायदा पहुंचा।

इसके अलावा अतिरिक्त उपकरणों / विशेष वस्तुओं की खरीददारी में भी कई भारी अनियमितताएं दिखाई दीं। बैंड स्टैंड के सलाहकार श्री मार्क फिशर को उनका पूरा भुगतान, 514000 यूएस डालर दिया गया, जबकि बैंड स्टैंड का आइडिया ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद श्री फिशर ने एक एयरोस्टेट का डिजाइन पेश किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस बात को छुपा लिया गया कि एयरोस्टेट वाली एजेंसी और स्पैकटेक प्रोडक्शन्स एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। इसके अलावा तकनीकी मूल्यांकन और लाइटिंग/सर्चलाइटिंग के अनुबंध में और विडियो कार्य की निविदा जारी करने में भी काफी गंभीर अनियमितताएं बरती गई।

उद्घाटन और समापन समारोह के लिए कला निर्देशन और इसमें इस्तेमाल वस्तुओं के लिए ब्लू लोटस प्रोडक्शन नाम की कंपनी को गलत तरीके से 16.49 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया गया जबकि समारोह के लिए जो वास्तव में जरूरी थी उन वस्तुओं की सूची तक को मंजूर नहीं किया गया था। इस तरह से काफी बड़ी मात्रा में वस्तुओं (प्रॉप्स) का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। कुछ वस्तुएं तो प्राप्त ही नहीं हो पाईं। इनमें से कई वस्तुओं की कीमत काफी ज्यादा थी।

(अध्याय 10)

खान पान (कैटरिंग)

आयोजन समिति की जिम्मेदारी थी कि वो खेल स्थलों और खेल गांव में खिलाड़ियों, टीम के अधिकारियों, सीजीएफ / सीजीए के अधिकारियों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, तकनीकी अधिकारियों,मीडिया कर्मियों, स्वयंसेवकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों और दर्शकों के लिए खान पान की व्यवस्था करे। हमने पाया कि खान पान की व्यवस्था की योजना बनाने में काफी देर की गई जिसका कोई उचित आधार नहीं मिल पाया और खान पान संबंधी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में भी काफी देर की गई।

खेल गांव के लिए खानपान के लिए जारी निविदा में कई अनियमितताएं थीं। इस प्रक्रिया में 14 माह का वक्त लगा और दो बार बोली मंगाई गई दोनों में एकल वित्तीय निविदा के आधार पर काम सौंपा गया। पहली

निविदा को आयोजन समिति के चेयरमैन द्वारा रद्द कर दिया जाना न केवल समिति के सदस्यों की सिफारिशों के विपरीत था बल्कि खुद चेयरमैन के मौखिक आदेश द्वारा एकल निविदा को खोलने के बाद किया गया।

इस निविदा को दोबारा जारी किए जाने से आयोजन समिति के पास मोलभाव करने का कोई मौका बाकी नहीं रहा और जून 2010 तक चार अलग अलग निविदाओं / अनुबंधों पर काम पूरा करने तक अफरातफरी का माहौल रहा। इसी तरह खेल स्थलों पर खान पान संबंधी निविदा की प्रक्रिया में भी काफी कमियां पाई गई और अत्यधिक देरी का परिचय दिया गया। इस वजह से एक बार की निविदा प्रक्रिया को रद्द कर जुलाई 2010 में जाकर तीन नई बोलियां मंगाई गई जिससे पारदर्शिता, गुणवत्ता और खर्च सब कुछ प्रभावित हुआ (क्योंकि प्रतिस्पर्धा का अभाव रहा)। इसका नतीजा ये हुआ कि खान पान संबंधी कई शिकायतें मिलीं जिससे खेल के दौरान कई आपातकालीन प्रबंध करने पड़े।

(अध्याय 11)

तकनीक (टेक्नोलॉजी)

एक सफल खेल आयोजन के लिए कई संयुक्त तकनीकी उपक्रमों का होना जरूरी है जिसमें एक टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट (टीएसआर)सिस्टम, एक खेल प्रबंधन तंत्र (जीएमएस) और एक खेल की टाइम वेबसाइट शामिल हैं।

हमने पाया कि टीएसआर के लिए योजना बनाने के काम में बुरी तरह से देरी की गई जिसकी शुरुआत जनवरी 2009 में हुई। साफ तौर पर देखा गया कि पूरी प्रक्रिया में एमएसएल, स्पेन को दरकिनार कर स्विस टाइमिंग ओमेगा को करार दिए जाने के लिए कई बार कई स्तरों पर हस्तक्षेप किया गया। इसके लिए जरूरी अनुभव की शर्तों में जानबूझ कर बदलाव किए गए जिससे अनियमित तरीके से एमएसएल स्पेन को प्रतिस्पर्धा से बाहर किया जा सके। स्विस टाइमिंग ओमेगा और एमएसएल स्पेन ने सीडब्ल्यूजी 2006 के मेलबोर्न खेलों, दोहा के एशियन खेलों-2006 और बीजिंग ओलंपिक खेल-2008 में संयुक्त रूप से टीएसआर सेवाएं प्रदान की थीं और इस आधार पर दोनों ही इन खेलों के लिए अयोग्य अथवा योग्य थे। आयोजन समिति के पास एक ही वित्तीय निविदा शेष रही जिसने टीएसआर की प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमत तय किए जाने का विकल्प ही खत्म कर दिया। यही वजह रही कि ये करार स्विस टाइमिंग ओमेगा को 135.27 करोड़ रुपए(मेलबोर्न में इसी कंपनी ने सी.डब्ल्यू.जी. 2006 के दौरान मात्र 39.84 करोड़ रुपए में सेवाएं दी थीं) की अत्यधिक ऊंची कीमत पर सौंप दिया गया इसके बावजूद भी टीएसआर के कामकाज में कई कमियां पाई गई जिसमें खास तौर पर कमेंटरी के लिए सूचना तंत्र और खेल सूचना तंत्र (जो स्विस टाइमिंग ओमेगा द्वारा उपहार के तौर पर दिया गया था) का प्रदर्शन खराब रहा।

खेल प्रबंधन तंत्र का अनुबंध दिए जाने में भी काफी खामियां रहीं। निविदा में बाध्यकारी शर्तों की वजह से चार में से तीन कंपनियों को अयोग्य करार दिया गया जिसमें एमएसएल, स्पेन को एक बार फिर पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन ने प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। गोल्ड मेडल सिस्टम्स को एकल वित्तीय निविदा के आधार पर जी.एम.एस. अनुबंध 25.29 करोड़ रुपए में दिया गया (जबकि मेलबोर्न सीडब्ल्यूजी में इसी कंपनी ने 4.15 करोड़ रुपए में सेवाएं प्रदान की थीं।)

इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाया कि आयोजन समिति को जून 2010 तक एक गेम्स टाइम वेबसाइट की जरूरत क्यों समझ नहीं आ सकी। इस बारे में एचटी हंगामा को अनुबंध दिए जाने की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और इसमें कई अनियमितताएं पाई गई, अनुबंध दिए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त मीडिया द्वारा इस वेबसाइट के खराब प्रदर्शन संबंधी रिपोर्ट के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के अध्यक्ष ने भी वेबसाइट में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया।

(अध्याय 12)

खेल

आयोजन समिति (ओसी) में खेल कार्यक्षेत्र को खेल स्पर्धाओं के संचालन, खेल के नतीजों के रखरखाव, प्रस्तुतिकरण समारोह और खेल संबंधी उपकरणों की खरीद की जिम्मेदारी दी गई थी।

खेल उपकरणों की खरीद में कई खामियां नजर आईं जिसमें वैश्विक निविदा प्रक्रिया का अभाव, एकल निविदा के आधार पर खरीद और जरूरतों का गलत आकलन शामिल था।

इस बारे में श्री ग्रेग बौमेन की कंपनी ग्रेट बिग इवेन्ट्स (जीबीई) के खेल प्रस्तुतिकरण समारोहों के विभिन्न अनुबंधों के लिए चयन की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। एक पहले से जारी करार को सितंबर 2010 में रद्द कर दिया गया और बाद में बहुत ही ऊंची कीमत पर जीबीई को सौंपा गया। हमने ये भी पाया कि जीबीई को कई ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं के गलत दावों के लिए कपटपूर्ण भुगतान किया गया (जिन्होंने भारत की यात्रा तक नहीं की।)

(अध्याय 13)

खेलों की ब्रांडिंग

खेलों की ब्रांडिंग की प्रक्रिया में आवश्यक रूप से खेल समाचार सेवा (जीएनएस) और दूसरी संचार और मार्केटिंग संबंधी सेवाएं शामिल हैं जो कुल मिलाकर खेलों को एक पहचान और चेहरा देने के लिए जरूरी होती हैं (जिसमें खेलों की एक अलग ही पहचान के लिए खेलों को बैनर और ग्राफिक्स के जरिए प्रचारित और प्रसारित किया जाता है।)

हमने पाया कि इस काम के लिए 10 करोड़ रूपए की भारी राशि खर्च की गई क्योंकि जीएनएस सेवाओं को आउटसोर्स करने का फैसला लिया गया (जबकि मेलबोर्न सीडब्ल्यूजी 2006 खेलों में इसकी व्यवस्था आंतरिक स्त्रोतों के जरिए की गई थी) और इसकी निविदा की प्रक्रिया में खामी थी क्योंकि मूल निविदा को रद्द करके एकल वित्तीय निविदा के आधार पर ये अनुबंध इन्फोस्ट्राडा स्पोर्ट्स को दे दिया गया। जीएनएस सिस्टम ने खेलों के दौरान ठीक ढंग से काम भी नहीं किया क्योंकि 5 से 8 अक्टूबर 2010 तक किसी को भी खेल सबंधी सूचनाएं मिल ही नहीं पाई जिसे बाद में वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए सुधारा गया।

खेलों को पहचान देने के लिए बैनर लगाने के काम में समूहों के आधार का सहारा लिया गया (जैसा कि ओवरलेज के मामले में किया गया)। बाद में वक्त की कमी का हवाला देते हुए आकस्मिक निविदा प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। जैसा कि आयोजन स्थलों के ओवरलेज के मामले में भी हुआ था, यहां भी आयोजन समिति ने कई अयोग्य कंपनियों को बोली लगाने की छूट दी और चयनात्मक तरीके से अनेक कंपनियों को अयोग्य करार दिया गया। हमने ये भी देखा कि एक ही कंपनी ने एक ही वस्तु के लिए अलग अलग समूहों में अलग अलग कीमत लगाई थी।

(अध्याय 14)

कार्यबल और आयोजन समिति की दूसरी सहयोगी गतिविधियां

खेल आयोजन में कर्मचारियों के प्रबंध के लिए सलाहकार का अनुबंध ई एंड वाई और ईकेएस के संघ को सौंपा गया जिसमें गंभीर खामियाँ पाई गईं। निविदा प्रक्रिया में व्यवस्था सीधे तौर पर ईकेएस को फायदा पहुंचाने की मंशा से बनाई गई नजर आई। निविदा की शर्तों में कई कमियां थीं जिनमें सलाहकार के हितों का पूरा ध्यान रखा गया और अनुबंध के संचालन में भी सलाहकार को काफी फायदा पहुंचाने की कोशिश नजर आई।

हमने पाया कि आयोजन समिति ने मनमाने ढंग से तदर्थ आधार पर कर्मचारियों का प्रबंधन किया जिसने अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में पक्षपात, रिश्तेदारी, नातेदारी को बढ़ावा देने का काम किया। ज्यादातर कर्मचारियों की सुरक्षा और सत्यता जांच नहीं की गई। कुछ ऐसे कर्मचारियों की ओसी में नियुक्ति की गई जिनकी यदि जांच की जाती तो शायद वो अपने पिछले रिकार्ड के आधार पर अयोग्य करार दिए जाते।

कुछ कार्यक्षेत्रों में दूसरी प्रमुख कमियां भी रहीं जिनका ब्यौरा यूं रहा :

- 492 कर्मचारी जिनको सुरक्षा अनुमति नहीं दी गई, उन्हें गलत तरीके से संयुक्त सुरक्षा तंत्र की सूची में रखा गया जो दिखाता है कि कर्मचारियों को पहचान पत्र देने का काम ठीक ढंग से नहीं किया गया।

- 0.68 करोड़ रूपए की लागत में 1.5 लाख लैनयार्ड खरीदे गए और इस बात का पता नहीं चल पाया कि इन लैनयार्डों के लिए 800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल पाना एक जरूरी शर्त क्यों रखी गयी थी।

- आयोजन स्थलों की सफाई के लिए दिए गए काम में भी कई अनियमितताएं पाई गई जिसमें समूह के आधार पर अनुबंध दिए गए और दो कंपनियों को ही इसका फायदा मिल पाया। इसमें जानबूझ पर पक्षपात पूर्ण तरीके से अनुबंध की शर्तों में कड़े प्रावधान किए गए। एटूजेड मेन्टेनेन्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को 9 में से 8 करार दिए गए जबकि यही कंपनी आयोजन समिति के कार्यालय की ऑटोमेशन सेवाओं का काम भी देख रही थी।

(अध्याय 15)

आयोजन स्थलों के विकास के सामान्य मुद्दे

आयोजन स्थलों के विकास में हर स्तर पर देरी हुई, जिसमें योजना स्तर पर आयोजन स्थलों के संक्षिप्त ब्यौरों को बनाने / मंजूरी देने में, वापसी ब्यौरों और संकल्पनात्मक डिजाइनों में, निविदा प्रक्रिया और अनुबंध देने में हुई देरी, कार्य के निष्पादन और आयोजन स्थलों को सौंपे जाने तक का सफर शामिल है।

चूंकि आयोजन स्थलों के मालिकों और जिन कंपनियों को उनके विकास का काम सौंपा गया उनकी आंतरिक डिजाइन कुशलता पर्याप्त नहीं थी लिहाजा उन्हें बाहरी डिजाइन सलाहकारों की मदद लेनी पड़ी। इन सलाहकारों के काम के प्रदर्शन में काफी अंतर दिखाई दिया। हमने ये पाया कि जहां जहां डिजाइन सलाह के काम में विदेशी संस्थाओं की मदद कम ली गई (जिनका खेल स्टेडियम बनाने में अनुभव था) वहां पर डिजाइन के मुद्दे पर काफी कमी दिखाई दी।

अलग अलग संस्थाओं ने मुख्य निर्माण कार्यों को सौंपने में अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया। सीपीडब्ल्यूडी ने करीब करीब सभी आयोजन स्थलों के लिए वस्तुओं की दर के आधार पर कार्यों का आवंटन किया जिसका जिक्र सीपीडब्ल्यूडी नियमावली में किया गया है क्योंकि यही एक सर्वश्रेष्ठ जरिया था जहां कार्य के मूल दायरे से भटकने का सबसे ज्यादा स्कोप था। लेकिन दो मुख्य कार्य एकमुश्त आधार पर दे दिए गए। बड़ी संख्या में अतिरिक्त /वैकल्पिक सामानों और विचलनों की वजह से अनुबंध का पूरा स्वरूप ही बदल गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संस्था पीडब्ल्यूडी ने अपने अधिकांश कार्यों का अनुबंध प्रतिशत दर के आधार पर सौंपा। इस आधार का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कार्य के ज्यादातर हिस्से में दिल्ली शेड्यूल्ड दर (डीएसआर) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का प्रयोग शामिल हो, जबकि आयोजन स्थलों के अधिकांश निर्माण कार्यों में ऐसी स्थिति नहीं थी।

मुख्य कार्यों को सौंपने की प्रक्रिया में ज्यादातर कमी पूर्व योग्यता और अर्हता के स्तर पर देखी गई। हर आयोजन स्थल के लिए अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पूर्व योग्यता ने न सिर्फ निविदा प्रक्रिया में मनमानेपन और असमानता को बढ़ा दिया बल्कि कार्य को सौंपने और कार्यान्वयन में भी देरी कर दी। ये देखते हुए कि सभी क्रीड़ा स्थलों के निर्माण में कार्य की प्रकृति एक समान थी, हमारे विचार में सभी कार्यों के लिए एक समान पूर्व योग्यता की प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती थी।

हमने ये भी पाया कि लागत अनुमानों से काफी ज्यादा कीमत पर कार्य सौंपने की प्रक्रिया को सही ठहराने में भी काफी खामियां रहीं। ये भी पाया गया कि मूल कार्य के दायरे से अनेक विचलनों(वैकल्पिक वस्तुओं की व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं, मात्रा में छूट आदि) ने भी प्रक्रिया में देरी में योगदान दिया और परियोजना की कीमत पर वृद्धि के रूप में बुरा असर डाला।

करार में तय अलग अलग कार्यों की समयसीमा में उल्लंघन के कई मामले हमें दिखाई दिए जिसके लिए पर्याप्त दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई और अतिरिक्त समय का प्रबंधन भी ठीक ढंग से नहीं किया गया।

कीमतों में बढ़ोत्तरी की एक बड़ी वजह श्रमिकों की मजदूरी में हुई बढ़ोत्तरी रही। हमें इस प्रावधान के इस्तेमाल में भी गंभीर खामियां नजर आईं। हमारे विचार में ऐसे भुगतान मुआवजे की तरह ही हैं लेकिन हमने

पाया कि एक तय फार्मूले के तहत ऐसे भुगतान किए गए और इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया कि ये भुगतान वास्तव में ठेकेदारों अथवा उप ठेकेदारों द्वारा रखे गए श्रमिकों के लिए किए गए। ऐसे बढ़े हुए भुगतान वास्तव में श्रमिकों तक ही पहुंच रहे हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारा सुझाव है कि भुगतान तभी किया जाए जब ठेकेदार श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा सत्यापित अकुशल श्रमिकों की भर्ती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

(अध्याय 16)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा विकसित किए गए आयोजन स्थल

सामान्य मुद्दे

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने सीपीडब्ल्यूडी को पांच स्पर्धास्थलों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डा.एस पी मुखर्जी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम और डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेन्ज के साथ साथ एक प्रशिक्षण केन्द्र डीपीएस आरकेपुरम के उन्नतिकरण / नवीनीकरण का कार्य सौंपा। इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी ने सीआरपीएफ की ओर से कादरपुर शूटिंग रेन्ज के नवीनीकरण का काम भी किया।

हमने पाया कि पांच मुख्य स्टेडियमों के लिए प्रमुख डिजाइन सलाहकार के लिए कंसलटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज(सीईएस) की नियुक्ति में काफी गंभीर खामियां रहीं। मूल्यांकन स्तर पर कान्सेप्ट डिजाइन के लिए दिए गए अंकों के आधार पर सीईएस का पक्ष लिया गया, (जबकि ये कान्सेप्ट डिजाइन मुख्यतौर पर सीईएस द्वारा पहले सौंपे गए एक अन्य परामर्श अनुबंध "परिस्थिति सर्वेक्षण" में किए गए कार्यों के आधार पर तैयार किया गया था)। इसके बाद इस कान्सेप्ट डिजाइन के आधार पर सीईएस की तकनीकी योग्यता निर्धारित करना और भी आश्चर्यजनक है क्योंकि इसके लिए आयोजन समिति द्वारा नवंबर 2006 में ईकेएस को सलाहकार नियुक्त किया गया जिसके बाद आयोजन स्थलों के संक्षिप्त ब्यौरे तैयार किए गए जिनके आधार पर ये कांसेप्ट डिजाइन तैयार किए गए थे। तकरीबन सभी आयोजन स्थलों के अनुबंध में सलाहकार के तौर पर सीईएस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा।

आयोजन समिति के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी केन्द्रीय समन्वय समिति, जिसमें आयोजन स्थलों के मालिक और कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे, की ये जिम्मेदारी थी कि वे स्पर्धाओं के लिए सतहों के ब्रांड्स का चयन करें। हमने पाया कि एथलैटिक ट्रैक, हाकी के टर्फ और बैडमिन्टन कोर्ट के मैट के ब्रांड्स को निर्धारित करने में इस समिति ने (जिस पर आयोजन समिति का दबदबा था) काफी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।

स्पर्धा स्थलों की सतहों के निर्माण के लिए एजेंसियों के चयन के लिए संयुक्त निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया गया। हमने पाया कि सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शिव नरेश स्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड को कार्य सौंपने में गंभीर अनियमितताएं थीं। निविदा की बाध्यकारी शर्तों की वजह से अनुबंध

की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया जबकि मिलते जुलते कार्य के लिए काफी कम दरें तय की गई थीं। हमें यह भी पता चला कि वह क्षेत्र जहां पर सिन्थेटिक ट्रैक बिछाया गया उसमें 9130 वर्ग मीटर का क्षेत्र, मुख्य ट्रैक और जे.एल.एन. स्टेडियम के अंतिम वार्मअप और काल रूम्स के बाहर का क्षेत्र था और इसे बनाने में 6.63 करोड़ रुपए की लागत आई। हमें इस बात का आश्वासन नहीं मिल पाया है कि इस अतिरिक्त मात्रा की वाकई जरूरत थी और इसकी मंजूरी आयोजन समिति द्वारा दी गई थी। नवंबर 2010 में अपने कार्यक्षेत्र के दौरे के दौरान हमें मुख्य स्पर्धा स्थल पर ट्रैक की गुणवत्ता में भी कमी नजर आई।

5 आयोजन स्थलों के लिए गणमान्य व्यक्तियों (वी.आई.पी.)और अतिविशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों (वी.वी.आई.पी.) और मीडिया के लिए कुर्सियों की आपूर्ति और उन्हें लगाने के अनुबंध हेतु संयुक्त निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया गया। हमें पता चला कि इस प्रक्रिया में कीमतों की गणना और पुनर्गणनाओं का ऐसा जाल बुना गया कि दरें काफी बढ़ गईं जिसका फायदा सीधे तौर पर सुपीरियर फर्नीचर्स को मिला।

हमने ये भी पाया कि आयोजन स्थलों के लिए ऊर्जा की व्यवस्था के लिए अत्यधिक निरर्थक एवं अनावश्यक प्रयास किए गए, जिसमें डीजल जेनरेटर सेट्स को हमेशा के लिए लगाना, यूपीएस की व्यवस्था और आयोजन समिति द्वारा अत्यधिक क्षमता वाले डीजल जेनरेटर सेट्स को किराए पर लेना शामिल था।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के मामले में हमें कई उदाहरण मिले, जिनमें ऐसे कार्य जो नहीं हुए उनका समायोजन नहीं किया गया, एकमुश्त करार के दायरे में आने वाले कार्यों के लिए भी अतिरिक्त भुगतान किए गए और मेम्बरेन छत के निर्माण में देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। हमें जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भारोत्तोलन ऑडिटोरियम और कॉमन एरिया के निर्माण में काफी खामियां मिली।

डा. एसपीएम स्विमिंग पूल कांप्लेक्स

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कांप्लेक्स का मुख्य कार्य एक मुश्त आधार पर सौंपा गया था। हमें पता चला कि ठेकेदार को कई ऐसी रियायतें दी गईं जो एक मुश्त करार की अवधारणा से बिल्कुल अलग हैं। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वस्तुओं के इस्तेमाल की छूट दी गई, मूल करार में शामिल कार्यों के लिए अतिरिक्त भुगतान और ठेकेदार की गलती की वजह से मूल रूप से निर्धारित गैलवाल्यूम छत को एल्यूमिनियम छत से बदलने का फैसला ऐसी ही रियायतों का उदाहरण है। इस आधार पर एकमुश्त निविदा का स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। कार्य की गुणवत्ता में कमी के भी स्पष्ट उदाहरण दिखाई दिए।

आईजी स्टेडियम कांप्लेक्स

इंदिरा गांधी स्टेडियम कांप्लेक्स में साइकिलिंग, जिमनास्टिक और कुश्ती की स्पर्धाओं के लिए स्थलों का निर्माण और उन्नयन किया जाना शामिल था। हमने पाया कि एक फर्म जो इंडोर साइकिलिंग वेलोड्रोम बनाने के लिए योग्य नहीं थी उसे भी अनियमित तरीके से कार्य सौंप दिया गया। आश्चर्य है कि वेलोड्रोम के लिए लकड़ी का ट्रैक बनाने का काम इंडियन फर्नीचर (एक अंतरराष्ट्रीय ट्रैक डिजाइन और निर्माण विशेषज्ञ के सहयोग से) तक ही सीमित रखा गया और इसकी अंतरराष्ट्रीय निविदा करने पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद भी

योग्यता की शर्तों में ढील दे दी गई। कुश्ती हेतु स्टेडियम के लिए निविदा प्रक्रिया में भी खामी नज़र आई क्योंकि इसके कारण एकल वित्तीय निविदा का सहारा लेना पड़ा जिससे पता चलता है कि निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा की कमी रही जो चिन्ता उत्पन्न करती है। इसी तरह जिमनास्टिक स्टेडियम के विभिन्न कार्यों, होस्टल और मीडिया सेंटर के निर्माण, सड़कों के निर्माण, चारदीवारी के निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए एक विशेष एजेंसी स्वदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में निविदा प्रक्रिया में दी गई कई रियायतों और अनियमितताओं का भी हमें पता चला।

मेजर ध्यान चंद स्टेडियम

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के मामले में लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि पूर्व योग्यता की शर्तों में एक निश्चित कंपनी के पक्ष में बदलाव किए गए। आरएफक्यू स्तर पर तय लागतों में आरएफपी स्तर तक आते आते काफी कमी कर दी गई जिससे बड़ी कंपनियों ने बोली लगाने में दिलचस्पी ही नहीं ली। इसी तरह हमें पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तय की गई न्यायसंगत दरें बाजार की दरों को प्रदर्शित नहीं कर रही थीं, क्योंकि मुख्य काम के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों ने उन्हीं उत्पादों की काफी कम कीमत लगाई थी। औचित्य प्रक्रिया में कम समय में काम को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई कीमतों के पक्ष में तर्क दिया गया जबकि सच्चाई ये है कि काम पूरा होने में 18 माह के बजाय 37 माह का वक्त लिया गया। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सका कि पहले और दूसरे चरण में अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद एक फर्म को पीए सिस्टम का काम सौंपने के लिए न सिर्फ निविदा की शर्तों में ढील दी गई बल्कि निविदा भी दुबारा जारी की गई, जिसकी वजह से अस्पष्ट देरी भी हुई।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विकसित किए गए दूसरे आयोजन स्थल

पहले डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेन्ज का नवीनीकरण / उन्नतिकरण होना तय किया गया था जिसे बाद में बदल कर पुनर्निर्माण कर दिया गया जिससे काम पूरा करने के लिए कम वक्त ही मिल पाया। कार्य निष्पादन में भी गुणवत्ता संबंधी काफी कमियां मिली जो खेलों के बाद भी जारी रही। हमें कादरपुर शूटिंग रेंज के कार्य में भी कई कमियां मिली हैं। सीडब्ल्यूजी 2010 में हिस्सा लेने वाले पुलिस खिलाड़ियों के लिए सीआरपीएफ कैंपस, झड़ौदा कलां में प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(अध्याय 17)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा बनाये गए आयोजन स्थल

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिरिफोर्ट खेल परिसर (एसएफएससी) यमुना खेल परिसर (वाईएससी) और साकेत खेल परिसर (एसएससी) पर स्पर्धा स्थलों / प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास किया।

नए आयोजन स्थलों पर काम शुरु करने के लिए डिजाइन सलाहकार नियुक्त करने के काम में बिना वजह के एक साल की देरी की गई जिससे मुख्य कार्य के लिए अनुबंध सौंपने और निष्पादन में क्रमप्रपाती देरी का

सामना करना पड़ा। हमें तीरंदाजी स्पर्धा स्थल, प्रशिक्षण स्थलों और नवीनीकरण के लिए आर्किटेक्ट ब्यूरो-जीएसए ग्रुप संघ के डिजाइन परामर्शदाता के रुप में चयन और कार्य में काफी खामियां देखने को मिलीं।

कुर्सियों की खरीद में भी काफी अनियमितताएं दिखीं (क्योंकि दी गई न्यायसंगत दरों पर विश्वास करना मुश्किल है) इसी तरह टेबल टेनिस कोर्ट के लिए सिन्थेटिक सतह और एक आयोजन स्थल पर मैपल वुड का फर्श बनाने के लिए सौंपे गए अनुबंध में भी हमें गड़बड़ी नजर आई।

(अध्याय 18)

दूसरी एजेंसियों द्वारा विकसित किए गए आयोजन स्थल

एनडीएमसी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा त्यागराज, तालकटोरा, शिवाजी और छत्रसाल स्टेडियम और सरकारी मॉडल लुडलो कैसल स्कूल पर स्पर्धा स्थलों / प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण किया गया। शिवाजी स्टेडियम के कार्य के लिए एक विदेशी ठेकेदार, चाइना रेलवे शिसिजु ग्रुप कारपोरेशन (सीआरएसजीसी) की नियुक्ति की गई जबकि एनआईटी की शर्तों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। शिवाजी स्टेडियम पर काम खेलों तक भी पूरा नहीं किया जा सका। और जो हॉकी पिच तैयार की गई उसकी दिशा उत्तर-दक्षिण (जैसा कि होना चाहिए था) न हो कर पूर्व-पश्चिम कर दी गई।

तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के लिए सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड को एकल निविदा के आधार पर मुख्य ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए इस निविदा की सर्वोत्तम कीमत लगाई गई थी। सीवीसी के मुख्य तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई थी।

त्यागराज स्टेडियम के मामले में हमें कई ऐसे उदाहरण मिले जिसमें लागत / कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कई विकल्पों में से काफी ऊंची कीमत में वस्तुओं का चयन किया गया और कई उदाहरणों में एकमात्र ब्रांड के पक्ष में फैसले लिए गए जिससे सीधे तौर पर ऐसे ब्रांड्स को फायदा मिला जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी आई और लागत में बढ़ोत्तरी हुई। हमें कई तरह के पावर बैकअप सिस्टम भी दिखाई दिए जिसमें एक सोलर पावर जेनरेटर यूनिट और दो इंधनों से चलने वाला गैस टरबाइन जिसमें वाष्प को सोखने वाली मशीन (वीएएम) लगी थी, शामिल थे। टरबाइन और वीएएम पर 22.41 करोड़ रुपए का खर्च एक निष्फल व्यय था क्योंकि खेलों के बाद ऐसी यूनिटों से ऊर्जा का उत्पादन काफी मंहगा काम है।

छत्रसाल स्टेडियम और लुडलो कैसल के लिए डिजाइन सलाहकार की नियुक्ति में भी खामियों का पता चला।

रग्बी 7 एस और टेबल टेनिस के प्रशिक्षण स्थल के लिए जेएमआई को चुना गया। हमें पता चला कि जिस रग्बी 7 एस के मैदान के निर्माण पर 2.11 करोड़ रुपए खर्च किए गए उसे बदल कर अब क्रिकेट फील्ड बनाया जा रहा है जो कम से कम एक उच्च स्तरीय अत्याधुनिक खेल स्थल के निर्माण की अवधारणा को थोड़ा धक्का तो जरूर पहुंचाता है। इसी तरह दूसरी स्पर्धाओं के लिए (बास्केट बॉल, लॉन टेनिस, वॉली बॉल, हॉकी / फुटबॉल

आदि) खेल सुविधाओं पर 2.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हम इस बात को समझते हैं कि विश्व विद्यालय स्तर पर खेल सुविधाओं का निर्माण बहुत जरूरी है लेकिन किसी खास कार्य के लिए दिए गए फंड का इस तरह से बेजा इस्तेमाल अनुचित और अनियमित है।

दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे जुड़े कॉलेज रग्बी 7 एस की स्पर्धा और नेट बॉल, बाक्सिंग, रग्बी 7 एस, एथलेटिक्स और महिला कुश्ती के प्रशिक्षण स्थल के रूप में चुने गए थे। हमने पाया कि इन कॉलेजों के प्रशिक्षण केन्द्रों को अधिकतम उपयोग की दृष्टि से स्थाई रूप से विकसित करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इन्हें नियमित तरीके से संभालने और मरम्मत आदि का काम अब भी अधूरा ही पड़ा हुआ है।

भारतीय टेनिस संघ के अंतर्गत आर के खन्ना टेनिस परिसर टेनिस प्रतियोगिता के आयोजन स्थल के रुप में नामित था। हमने पाया कि इस नवीनीकरण परियोजना के लिए सलाहकार का चुनाव अनियमित तरीके से नामांकन के आधार पर किया गया। हालांकि एआईटीए की वास्तविक अनुबंध से स्टील के हिस्से को हटा देने की संकल्पना (2008 में स्टील की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए) और इसे सीधे बाजार से खरीदने के फायदे थे, खासकर यह देखते हुए कि अनुबंध में कोई भी बढ़त / कमी की धारा शामिल नहीं थी।

(अध्याय 19)

राष्ट्रमंडल खेल गांव

अक्षरधाम मंदिर के पास राष्ट्रमंडल खेल गांव के तीन प्रमुख घटक थे- खिलाड़ियों और अधिकारियों के रहने के लिए एक आवासीय परिसर, खिलाड़ियों के लिए अभ्यास क्षेत्र, और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, खेल गांव संबंधी कार्यों और अन्य क्षेत्रों हेतु अस्थायी ढांचे (ओवरलेज)।

हमने पाया कि निर्माण स्थल के चुनाव संबंधी मुख्य मामले को सही तरह से संबोधित नहीं किया गया। अक्षरधाम पुल को मजबूत करने के अलावा, संबंधित पर्यावरण शर्तों के हिसाब से मंजूरी लेने के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यमुना नदी के ऊपर, बाढ़ को कम करने / घटाने हेतु तय नियमों के पालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। डीडीए ने खास तौर पर इस जिम्मेदारी को छोड़ने की कोशिश की। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के पालन को भी सत्यापित नहीं कर सकते जो इस वादे के आधार पर निर्माण की अनुमति देता है कि निर्माण गतिविधियां डॉ. आर के पचौरी के सहयोग के साथ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक समिति की देखरेख में होंगी। आश्चर्यजनक तरीके से, डॉ पचौरी से संपर्क करने पर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें इस तरह की किसी भी निरीक्षण गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है।

हमें पीपीपी तरीके से आवासीय परिसर के निर्माण हेतु एम्मार एमजीएफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध दिए जाने में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इसमें गलत प्रस्तुतिकरण और आरएफक्यू और आरएफपी चरणों में शामिल करने की एक पूरी श्रृंखला मौजूद थी, जिसकी वजह से एम्मार एमजीएफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो कि पीक्यू मानदण्डों के अनुसार योग्य नहीं था, सहयोग संघ रास्ते के जरिए एक योग्य (और सफल) निविदाकर्ता के रुप में उभरकर सामने आया। इसके साथ ही, एक महत्वपूर्ण परिशिष्ट, जिसकी वजह से निविदा की शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, को जोड़ने के बाद सात दिनों का बहुत कम समय दिया गया।

आरएफपी के जवाब में एम्मार एमजीएफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और डीएलएफ लिमिटेड की तरफ से दो निविदाएं प्राप्त हुई। जबकि डीएलएफ की शर्तयुक्त निविदा को बिना किसी बातचीत या विचार विमर्श के नामंजूर कर दिया गया, डीडीए ने अपने वित्तीय सलाहकार, कानूनी परामर्शदाता और एम्मार एमजीएफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसके प्रस्ताव की कमियों का हल निकालने के लिए कई पत्राचार किए। आखिरकार केवल एम्मार एमजीएफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी रुप से योग्य घोषित किया गया और एक ही वित्तीय निविदा के आधार पर इसे अनुबंध दे दिया गया, इस तरह डीडीए प्रतियोगिता के जरिए मिलने वाले लाभ से वंचित रह गया।

आवासीय परिसर परियोजना का क्रियान्वयन भी कई अनियमितताओं और कमियों से भरा हुआ था। परियोजना के निर्माता द्वारा तैयार एफएआर न केवल काफी हद तक मंजूर योजना से ऊपर चला गया था बल्कि दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान के अंतर्गत एफएआर के उच्चतम स्वीकृत स्तर से भी आगे बढ़ गया। एम्मार एमजीएफ ने भी पार्किंग के लिए बनाए गए भूमिगत खण्ड में गैरकानूनी तरीके से 17 अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण किया। डीडीए ने एम्मार एमजीएफ को कई वित्तीय रियायतें दीं, जिसमें मुख्य परियोजनाओं में संशोधन और देरी/ नुकसान के लिए कोई दण्ड भारित नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2010 की तय अंतिम समय सीमा के विपरीत, डीडीए को आवासीय परिसर जून और अगस्त 2010 के बीच सौंपे गए और वह भी अधूरी स्थिति में थे।

डीडीए ने आवासीय परिसरों का ज्यादातर बुनियादी काम पूरा हो जाने के बाद केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र, रुड़की (सीबीआरआई) को तीसरे पक्ष वाली स्वतंत्र गुणवत्ता पर्यवेक्षण एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया। सीबीआरआई ने जून 2008 से अक्टूबर 2010 के बीच दी गई 13 रिपोर्टस में निर्माण कार्य में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया। इसमें बीम्स और स्तम्भों को गलत तरीके से लगाया जाना, रीइनफोर्सिंग स्टील के ऊपर पर्याप्त कंक्रीट कवर की कमी, गलत बीम स्तम्भ जोड़, स्तम्भों और पतले स्तम्भों का गलत एलाइनमेंट (सीबीआरआई की सलाह के विपरीत, गलतियों को छुपाने के लिए जिन पर प्लास्टर कर दिया गया था।) और ग्रेड स्लैब्स के स्तरों में अंतर जिसकी वजह से बेसमेंट में रिसाव हो गया। सीबीआरआई इस निर्णय पर पहुंचा कि कंक्रीट की पारगम्यता और रीइनफोर्सिंग स्टील के संक्षारण (जंग लगना) को देखते हुए, ऐसा लगता है कि काफी मात्रा में मरम्मत के बिना यह टावर्स 20 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। डीडीए ने इन रिपोर्टस पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं की, और सीबीआरआई की बाद की रिपोर्टस में भी इन कमियों का उल्लेख होता रहा।

अभ्यास क्षेत्र के निर्माण के लिए डिजाइन सलाहकार समझौते को दिए जाने और इसके निष्पादन में गंभीर कमियां थीं। अभ्यास क्षेत्र के मुख्य ठेकेदार के रुप में स्पोर्टिना पाएसी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चुनाव में हेराफेरी की गई ताकि स्पोर्टिना पाएसी कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एक दूसरा निकाय) पहले से योग्य और परियोजना के लिए सफल ठेकेदार के पूर्व योग्यता के सहयोग संघ से अलग होने को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद, खराब प्रदर्शन की वजह से अनुबंध समाप्त कर दिया गया और इसे दुबारा दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों हेतु अस्थायी ढांचे (ओवरलेज) प्रदान करने के लिए चुने गए ठेकेदार जीएललिटमस इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव भी इसी तरह कमियों से परिपूर्ण था। सफल ठेकेदार, पूर्व योग्यता निकाय से पूरी तरह अलग था और जरुरी अनुभव वाला विदेशी निकाय सफल निविदा निकाय का हिस्सा

नहीं था। इसके साथ ही, 41.38 करोड़ रुपए के एक अनुबंध, जिसका अधिकतर सामान आयात किया गया था, भारतीय सीमा शुल्क के हिसाब से इसकी कीमत केवल 5.32 करोड़ रुपए थी।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने खेल गांव, अक्षरधाम मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए 35.20 करोड़ रुपए की लागत में एक 1 एमजीडी क्षमता वाला जल शोधक संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) बनाया। हमने पाया कि 1 एमजीडी क्षमता वाले अलग जल शोधक संयंत्र की जरुरत नहीं थी और संयंत्र को मंहगी मेंब्रेन फिलट्रेशन तकनीक से ओवर डिजाइन कर दिया गया था। इसके साथ ही, निविदा प्रक्रिया गलत और अनियमित थी, जिसमें असंगत और अस्पष्ट देरी की गई। एक ही ठेकेदार को काम देने के लिए, निविदा मूल्यांकन में बदलाव किए गए। डब्ल्यूटीपी फिलहाल बंद है और स्थायी परिसंपत्ति के आधार पर इसकी जरुरत पर प्रश्नचिन्ह है।

डीडीए ने अत्यधिक और अनुचित निरर्थकता के साथ 1250 केवीए क्षमता वाले 4 जेनरेटिंग सेट्स भी खरीदे, जो कि अब बिना इस्तेमाल के रखे हुए हैं। इनमें से दो सेट्स को डीडीए के मुख्यालय (विकास सदन) में स्थानांतरित करने की योजना अतर्कसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि विकास सदन का मौजूदा लोड केवल 1230 केवीए है।

(अध्याय 20)

सीडब्ल्यूजी आयोजन स्थलों के आसपास स्ट्रीटस्केपिंग और सौंदर्यीकरण

2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सीडब्ल्यूजी-2010 के पहले सौंदर्यीकरण के लिए स्ट्रीटस्केपिंग और सड़कों के सौंदर्यीकरण को लागू करने का निर्णय लिया। हालांकि हमारे नजरिए से, स्ट्रीटस्केपिंग और सौंदर्यीकरण परियोजना, अतिमहत्वपूर्ण दृष्टिकोण और अनुभव कि यह कैसे शहरी डिजाइन और विकास पर असर डालेगी के बिना गलत तरीके से अपनाई और योजनाबद्ध की गई थी। परियोजना भारत सरकार के शहरी विकास और नवीनीकरण हेतु फ्लैगशिप योजना जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली दिल्ली शहरी विकास योजना का हिस्सा थी। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के लिए डीयूएसी से मंजूरी लेना जरुरी नहीं समझा, और दिल्ली के यातायात की बड़ी मात्रा के प्रबंधन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आकलन और समन्वय करने के लिए शुरुआती चरणों में ही, यातायात पुलिस से इसके विचार विमर्श करने के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं।

स्ट्रीटस्केपिंग और सौंदर्यीकरण का कार्य 4.8 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर (चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए एनएचएआई की अनुमानित लागत 9.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर या रेलवे ट्रैक बनाने के लिए भारतीय रेलवे की अनुमानित लागत 4.1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की तुलना में)की अत्यधिक उच्च औसत लागत पर तदर्थ और मनमाने तरीके से दिया और क्रियान्वित किया गया, जिसकी वजह से 101.02 करोड़ रुपए का बेकार का खर्चा हुआ।

परियोजना मुख्य तौर पर सलाहकार की राय के अनुसार पूरी हुई, इसमें सलाहकार का चयन मनमाने तरीके से और गैर पारदर्शी होने के साथ ही बिना किसी कॉमन डिजाइन दिशानिर्देश और लक्ष्यित बजट अनुमानों के था। सलाहकारों को डिजाइन्स बनाने और उनको आवंटित किए गए पैकेजों के लिए लागत अनुमान लगाने में पूरी छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरुप विभिन्न पैकेजों के लिए मनमाने और असंगत तरीके से उच्च मानकों का चुनाव किया गया। हमें अनुबंध प्रबंधन में उच्च कीमतों / वसूली के कम रह जाने और अन्य कमियों को अपनाया जाना भी मिला। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लिया गया तीसरा पक्ष भी काम के लिए इस्तेमाल किए गए मानकों और सामान पर उचित आश्वासन देने में असफल रहा।

(अध्याय 21)

दिल्ली की सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में सुधार

दिल्ली की सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में सुधार की परियोजना दिल्ली सरकार ने जून 2006 में अपनाई, इसे दो वर्षों में पूरी दिल्ली में लागू करने की योजना थी। प्रकाश व्यवस्था के विस्तारित मानक नवम्बर 2006 में तैयार किए गए। हालांकि इन मानकों में केवल लैम्प्स और ल्यूमिनरीज के प्रदर्शन का तकनीकी मानदण्ड शामिल था और यह देशी और विदेशी ल्यूमिनरीज के बीच कोई अंतर नहीं कर रहा था, पीडब्ल्यूडी ने विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए आयातित और देशी ल्यूमिनरीज दोनों के इस्तेमाल का नियम निर्धारित किया। रिकार्ड से यह पता चलता है कि आयातित ल्यूमिनरीज के इस्तेमाल का फैसला, विभिन्न चरणों में मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी के साथ लिया गया। आयातित ल्यूमिनरीज की लागत में होने वाले लाभ संबंधी विश्लेषण के साथ ही इनके इस्तेमाल के कारण के संदर्भ में भी कोई तकनीकी नोट रिकार्ड में नहीं मिला। पीडब्ल्यूडी द्वारा आयातित ल्यूमिनरीज के इस्तेमाल के फैसले को एमसीडी और एनडीएमसी ने भी अपनाया।

देशी ल्यूमिनरीज की तुलना में आयातित ल्यूमिनरीज कहीं ज्यादा की लागत पर खरीदी गई, जिसकी वजह से तीनों एजेंसियों द्वारा 31.07 करोड़ रुपए का बेकार का खर्चा किया गया। एक ही स्तर पर, विभिन्न रेंज की कीमतों और काफी अलग ख्याति वाली विभिन्न कंपनियों के मॉडल्स का चुनाव किया गया, ऐसा विभिन्न ठेकेदारों द्वारा दिए गए विकल्पों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के रिकार्ड के बिना किया गया। हमने यह भी पाया कि आयातित रेंज की खरीद कीमत, वास्तविक बिल कीमत के आधार पर गणना की गई उचित कीमत से कहीं ज्यादा थी।

एनडीएमसी द्वारा डिजाइन आधारित निविदा वापस बुलाने के बाद, काम के दिए जाने से 6.77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ, क्योंकि ठेकेदार को विभिन्न मदों के लिए कार्य प्रति इकाई ऊंची कीमत के साथ दिया गया। एनडीएमसी ने 18.445 किलोमीटर का अतिरिक्त काम भी दिया, जो कि गलत तरीके से वास्तविक अनुबंध से हटकर बताया गया था। हम ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से 6.13 करोड़ रुपए का अनुमानित अतिरिक्त नुकसान हुआ।

बाध्यकारी निविदा शर्तें अपनाई गई और पीडब्ल्यूडी में काम को तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक काम के लिए एक से ज्यादा ठेकेदार की जरुरत नहीं थी, इसकी वजह से बोली लगाने वाली कंपनियों

के बीच प्रतियोगिता कम हो गई। एक बार अयोग्य घोषित हो जाने के बाद, इनमें से एक कंपनी, स्पेसएज द्वारा मुख्यमंत्री से अपील करने के बाद, इसे बाद के आकलन में अनियमित तरीके से योग्य घोषित कर दिया गया।

हमने एमसीडी द्वारा दिए गए अनुबंधों में 2.54 करोड़ रुपए का बेकार का खर्चा पाया (डिजाइन मानकों को पूरा नहीं करने की वजह से)। इसके साथ ही दो मामलों में निविदा के बाद बोली के बदले जाने का संदेह है, जिसके परिणामस्वरुप, लगाई गई बोली लागत में 6.97 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई।

(अध्याय 22)

सड़कों पर साइनेज

फरवरी 2006 में यह फैसला लिया गया कि आने वाले सीडब्ल्यूजी-2010 के लिए पूरे दिल्ली शहर में उचित ढांचागत तंत्र के साथ अत्याधुनिक रोड़ साइनेज होने चाहिए। मई 2008 में पीडब्ल्यूडी ने रेट्रो रिफ्लैक्टिव शीट्स के दो प्रमुख निर्माताओं के प्राधिकृत परिवर्तकों के जरिए एक पायलट परियोजना शुरु की।

हमने पाया कि विभाग ने स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित नहीं की और केवल दो प्रमुख शीट निर्माताओं, 3 एम और एवरी-डैनीसन के बीच साइनेज के काम के बंटवारे को ही निश्चित किया। पूरे कार्य के लिए एकल निविदा मंगाने के बजाय, परियोजना के कार्य को तीन पीडब्ल्यूडी क्षेत्रों में बांट दिया गया और इन तीनों के लिए बाध्यकारी शर्तों के साथ अलग अलग निविदा और क्रियान्वयन प्रक्रिया अपनाई गई। जिसके परिणामस्वरुप वैध निविदा दाखिल करने वाली केवल दो पार्टियां मिलीं और इस वजह से काम अपने आप ही इन दोनों के बीच बंट गया। प्रतिस्पर्धा में कमी संबंधी निविदा शर्तों की वजह से एक क्षेत्र का काम दूसरे दो क्षेत्रों में संगत खर्च के मुकाबले कम से कम 1.40 करोड़ रुपए ज्यादा रहा। साथ ही एनडीएमसी के मुकाबले पीडब्ल्यूडी द्वारा खरीद की कुल लागत ज्यादा रही।

काम सौंपे जाने के बाद साइनेजों के डिजाइनों में काफी बदलाव किया गया जिसकी वजह से भारी मात्रा में संदिग्ध उपयोगिता वाली अतिरिक्त और वैकल्पिक वस्तुओं की खरीद करनी पड़ी जिससे होने वाले 14.88 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त बेकार के खर्च को टाला जा सकता था।

(अध्याय 23)

शहरी संरचना विकास: सड़कें और फ्लाईओवर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शहरी संरचना के उन्नयन और राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी के लिए 25 सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। हमने इनमें से 7 परियोजनाओं को विस्तृत समीक्षा के लिए चुना।

इन सभी 7 परियोजनाओं में पुलों- फ्लाइओवरों के लिए ठेकेदार के लाभ और ओवरहेड चार्ज (सीपीओएच) के रुप में सीपीडब्ल्यूडी के अनुबद्ध 15 प्रतिशत की जगह 37.5 प्रतिशत चार्ज को अपनाया गया। इसके परिणामस्वरुप वित्तीय बोली खोलने के बाद विभाग द्वारा आंकी गई उचित लागत में बढ़ोत्तरी हो गई। यह बढ़ोत्तरी 352.47 करोड़ रुपये की थी। एक ऊंची सीपीओएच ने संभावित बोलीकर्ताओं के लिए बेसलाईन लागत को बढ़ा दिया। सीपीओएच की दरों ने जहां जरुरत थी वहां,उचित लागत बनाने में भी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई,और अनुबंध के तहत काम प्रदान करने में दरों की जरुरतों के आकलन में भी ये अहम रहे।

दो परियोजनाओं में काम प्रदान करने में गड़बड़ी रही। यहां एल-1 को एकमुश्त रकम के लिए अलग पत्र के आधार पर चिन्हित किया गया। जबकि, अन्य बोली में निविदा दस्तावेजों में करेक्शन फ्लूड और बड़ी संख्या में काटपीट व सुधार भी देखने को मिले (इसे मंजूर कर लिया गया)।

दो काम, जिनकी लागत 62.63 करोड़ रुपये थी, इन्हें पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यान्वित किया गया। इनमें नई निविदाएँ मंगाने के स्थान पर चल रहे काम में ही डेविएशन दिखाया गया, और इसकी वजह काम में जल्दी बताई गई। लेकिन यह काम खेलों के लिए समय पर पूरे नहीं हो पाए। पीडब्ल्यूडी ने दो आर्क फुटओवर ब्रिजों (एफओबी) के निर्माण के काम भी प्रदान किए, इनकी लागत 10.35 करोड़ रुपये थी। जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम के पास बन रहे इन पुलों में पहली बार आयातित मैकलॉय सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था। इनमें से एक एफओबी गिर गया, और इसके बाद दोनों एफओबी पर काम रोक दिया गया। दोनों ही अभी तक अधूरे पड़े हैं।

(अध्याय 24)

कनॉट प्लेस का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार

हालांकि, कनॉट प्लेस (सीपी) के सुधार और उन्नयन की परियोजना अप्रैल 2004 में ही परिकल्पित की गई थी, लेकिन यह बेवजह की देरी से प्रभावित हुई। 76 करोड़ रुपये (मई 2005 में) की मूल आकलन लागत जुलाई 2007 में बढ़कर 9 गुना यानि 671 करोड़ रुपये हो गई। साथ ही इसमें काम की प्रकृति में भी खासी बढ़ोत्तरी हो गई।

परियोजना के लिए स्वीकृत डीपीआर फरवरी 2008 में जाकर जमा की गई। ऐसे में इस परियोजना के वक्त पर यानि खेल आयोजन तक पूरा होने की उम्मीद रखना अतार्किक होता। यहां कनॉट प्लेस से दिल्ली के यातायात के महत्व को देखते हुए यातायात प्रबंधन के मद्देनजर आने वाली रूकावटों के चलते यह और भी मुश्किल था। एनडीएमसी ने प्रबंधन के लायक पैकेजों में परियोजना को बांटकर काम करने का नजरिया नहीं अपनाया। जिसमें पूरे सीपी में यातायात को न्यूनतम बाधित करने की व्यवस्था हो और वैसी ही परियोजनाएं अपनाईं जाएं जो वक्त पर पूरी हो सकें। इसकी जगह,परियोजना को ऐसे पैकेजों में बांटा गया जो पूरे सीपी में बिखरी हुई थीं, और साथ ही सारे काम-काज एक ही वक्त पर साथ साथ चल रहे थे।

सी ब्लॉक के अग्रभाग (फेकैड) के पुनरूद्धार की पायलट परियोजना को छोड़कर (जो कि अगस्त 2008 में पूरी हुई) परियोजना खेल के वक्त तक भी अधूरी ही रही। हमने यह भी पाया कि अनुबंधों के प्रबंधन में भी बड़ी खामियां रही, जिससे टाले जा सकने योग्य खर्च हुए।

(अध्याय 25)

संरचना विकास की अन्य गतिविधियां

सुरक्षित संचार सेवाएँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सितंबर 2008 में एक टेट्रा नेटवर्क (एक पेशेवर मोबाइल संचार सेवा, जो कि सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए है) सीडब्ल्यूजी-2010 के लिए शुरु करने का फैसला किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 87 महीने की अवधि के लिए टेट्रा का यह अनुबंध 99.81 करोड़ रुपयों में सौंपा, इसके तहत न सिर्फ खेल आयोजन की अवधि कवर होती थी बल्कि इसमें सात साल की स्थायी विरासत अवधि भी जुड़ी थी। हमारे विचार में, सात साल तक स्थायी विरासत के रुप में टेट्रा को आगे बढ़ाने का फैसला गलत विचार था। दिल्ली पुलिस (प्रमुख उपयोगकर्ता) और दूसरी पब्लिक एजेंसियों की जरुरतों का ठीक मूल्यांकन और मौजूद नेटवर्क के बदले टेट्रा के इस्तेमाल के बारे में मूल्यांकन नहीं किया गया। (क्योंकि दूरसंचार विभाग ने टेट्रा और दूसरे नेटवर्कों के बीच संचार की अनुमति नहीं दी थी)। सीडब्ल्यूजी-2010 के बाद इनमें से ज्यादातर महंगे टेट्रा सेट वास्तव में महज मोबाइल फोन से अधिक कुछ नहीं हैं।

परिवहन सेवाएँ

सीडब्ल्यूजी-2010 के दौरान, खिलाड़ियों, तकनीकी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के आवागमन के लिए यातायात सुविधा दी गई थी, जिसके लिए डीटीसी की लो- फ्लोर बसों का इस्तेमाल किया गया था। बसों को सीडब्ल्यूजी-2010 के लिए नया रखने के लिए डीटीसी ने अपने लो-फ्लोर बसों के बेड़े में से 16 प्रतिशत बसों को मार्च से अगस्त 2010 के दौरान नहीं चलाया। इसके अलावा, खेल आयोजन की अवधि के दौरान एनडीएमसी इलाके से 78 प्रतिशत ब्ल्यू लाइन बसों को सड़कों से हटा दिया गया। इसके साथ ही, डीटीसी के ड्राइवरों की खेल से जुड़ी सेवाओं में ड्यूटी की वजह से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई।

मानक बसों में एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड और टाइम कीपिंग बूथ निर्माण जैसी आधुनिकीकरण की परियोजनाएं तयशुदा वक्त यानि सीडब्ल्यूजी-2010 से पहले पूरी नहीं हो पाईं, जैसा कि विचार था। पूरे शहर में बनाए जानेवाले 48 टिकटिंग बूथों का निर्माण बसों में लगे जीपीएस-एवीटीएस की वजह से अप्रासंगिक व पुराना साबित हुआ।

खेलों से पहले 1500 बस क्यू शेल्टर (बी.क्यू.एस.) के निर्माण के लिए डीटीसी और जी.एन.सी.टी.डी. के परिवहन विभाग ने कार्यान्वयन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए (इनमें 1050 बीक्यूएस का काम सरकारी फंडिंग से या बीओटी के आधार पर डीआईएमटीएस को दिया गया, जो कि एक गैर सरकारी निकाय है जिसमें

50 प्रतिशत निजी शेयरधारक हैं) इससे इतनी बड़ी परियोजना लागू करने में मनमानापन, तदर्थवाद और अस्पष्टता साफ दिखी। अब तक, केवल 472 बीक्यूएस ही पूरे हो पाए हैं।

मिलेनियम पार्क के सामने एश पॉन्ड में बनी बस पार्किंग महज अस्थायी ढांचा नहीं थी बल्कि इसमें कई स्थायी ढांचे भी बने थे। इसका इस्तेमाल खेल आयोजन की छोटी अवधि की जरुरतों के बहुत बाद तक किया गया। यह दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 और प्रस्तावित जोनल प्लान का साफतौर पर उल्लंघन था, जिसके तहत इस इलाके को हरित क्षेत्र के रुप में सीमांकित किया गया है। इसके तहत मनोरंजन के लिए तो इसका उपयोग हो सकता है लेकिन स्थायी ढांचे नहीं बनाए जा सकते।

ऊर्जा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने ऊर्जा उत्पादन स्त्रोतों पर निर्भर रहने के आधार पर बवाना में एक नए पावर प्लांट को लगाने की योजना को अपनी मंजूरी दी। 1500 मेगावॉट के बवाना के गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट में देरी हो गई, और यह खेलों के वक्त तक पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी.टी.एल.) ने पांच 220 केवीए सब-स्टेशन और 7 संगत केबलिंग की परियोजनाएं भी हाथ में लीं, ताकि, खेलों के लिए दिल्ली में समय से बिजली सप्लाई की स्थिति मजबूत हो सके। इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं काफी देर से प्रदान की गईं (2009 के उत्तरार्ध में) और यह खेलों से पहले पूरी नहीं की जा सकी। अनुबंध देने की प्रक्रिया में भी भारी खामियां थीं।

(अध्याय 26)

राष्ट्रमंडल युवा खेल-2008, पुणे का आयोजन

राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 (सीवाईजी-2008),राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूजी-2010) का उप-समारोह था और यह पुणे में 12 से 18 अक्तूबर 2008 के बीच आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल युवा खेल,2008 मौजूदा शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स बालेवाड़ी-मालुंज, पुणे में आयोजित किए गए। इसे इन स्पर्धाओं के लिए सुधारा और सुसज्जित किया गया था। प्रतिभागियों के रहने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी)के साथ बने तीन-सितारा होटल के निर्माण में हमने गंभीर खामियां पाई हैं। होटल के लिए चुना गया भूखंड पब्लिक / सेमीपब्लिक भू-उपयोग क्षेत्र के तहत आता था और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी।

इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भू उपयोग में बदलाव के लिए दिए गए प्रस्ताव को आखिरी चरण में होने और अति-आवश्यक होने के आधार पर महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) के पास भेजा गया। कहा गया कि भूमि पर काम बाकायदा शुरु है और दूसरे विकल्प भी नहीं हैं। अक्तूबर 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसे मंजूर कर दिया। निरीक्षण समिति ने, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव थे-इस संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर दिया।

इतना ही नहीं, होटल के लिए जारी की गई मुख्य निविदा प्रक्रिया में भी भारी खामियां थीं। विभिन्न चरणों में निविदा स्थितियों में काफी हद तक छूट दी गई। कथित रुप से यह निविदा के लिए प्रतिक्रियाएं न मिलने की वजह से दी गई। आश्चर्यजनक तरीके से, भू उपयोग बदलने का मुद्दा निविदा प्रक्रिया के दौरान कभी भी नहीं उठाया गया। यह संभव है कि सिर्फ वैसे बोलीधारक जो बाद में महाराष्ट्र सरकार से स्वीकृति पा जाने को लेकर आश्वस्त थे, उन्होंने ही बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया हो। अन्त में अनुबंध एकमात्र वित्तीय बोली के आधार पर यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को वित्त विभाग के सुझाव के स्तर से बेहद नीचे की एक एनपीवी के साथ दिया गया।

राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 पुणे दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिहाज से सीखने का एक मौका साबित होने की उम्मीद थी। जो खामियां पुणे में नोटिस की गई, उनके हिसाब से ऐसी सिफारिशें की गईं ताकि वह राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में दोहराई न जाएं। फिर भी, हमने, यह नोटिस किया कि आयोजन समिति ने सीखने और दिल्ली 2010 के लिए तैयार होने के इस मौके को गंवा दिया। परिणामत:, राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान महत्वपूर्ण कार्य स्थलों पर अपनी गलतियां दोहराई। जिसमें खासकर, तकनीक, टिकटिंग, प्रायोजन और सौदों, प्रैस आपरेशन, कैटरिंग और रहने की सुविधाएं मुहैया कराने के क्षेत्र शामिल थे।

हमने राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 पुणे के लिए इलेक्ट्रॉनिक, स्पोर्ट्स और दूसरे उपकरणों की खरीद में कई खामियां पाई हैं। राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 पुणे के लिए मंगाए गए ज्यादातर सुरक्षा उपकरण या तो खेलों के बाद ऑर्डर किए गए या फिर खेलों के बाद प्राप्त किए गए। साथ ही नगर की कुछ संरचनात्मक परियोजनाएं (जो कि ज्यादातर जेएनएनयूआरएम के तहत थीं) खेलों के लिए समय पर पूरी नहीं की जा सकीं।

(अध्याय 27)

मीडिया और प्रसारण सेवाएँ

यद्यपि, मई 2003 की बोली में दूरदर्शन होस्ट ब्रॉडकास्टर के रुप में दर्शाया गया था, लेकिन आयोजन समिति द्वारा औपचारिक रुप से इसे मार्च 2007 में अधिसूचित किया गया। मई 2009 में आयोजन समिति और प्रसार भारती (पी.बी.) के बीच होस्ट ब्रॉडकास्टर अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ।

प्रसारण सेवाओं का अनुबंध प्रसार भारती द्वारा एसआईएस लाइव को दिया गया, जिसमें निम्नलिखित कई खामियां थीं :-

- केवल एक ही बोलीधारक, एसआईएस लाइव तकनीकी रुप से योग्य साबित हुआ। और अनुबंध एकल वित्तीय बोली के आधार पर बिना किसी प्रतियोगिता के दिया गया। प्रतियोगिता की यह कमी प्रसार भारती के बोली स्तर पर उस अड़ियल रवैये से हुई (खासकर भुगतान के शेड्यूल पर), जो क्षमतावान बोलीधारकों को बोली लगाने से रोक रहा था। बहरहाल, प्रसार भारती अनुबंध शर्तों को अंतिम रुप देने के लिए चुने गए निकाय के साथ एक बोली पूर्व आपसी बैठक के लिए सहमत हो गया। इसके बाद, एसआईएस लाइव के पक्ष में एकपक्षीय बनाने के लिए अनुबंध के ड्राफ्ट के उपबंधों में कई संशोधन किए गए।

- प्रसार भारती के साथ अनुबंध के उद्देश्य के विपरीत, एसआईएस लाइव ने पूरे अनुबंध को उसी दिन जूम कम्युनिकेशन को आउटसोर्स कर दिया। जो कि बोली के लिए अयोग्य रहता। हमने पाया कि एसआईएस लाइव और जूम, प्रसार भारती से अनुबंध करने के बहुत पहले से सहयोगी थे। यहां तक कि अनुबंध के ड्राफ्ट करने के दौरान भी, एसआईएस लाइव की मंशा अनुबंध को आउटसोर्स करने की थी और यह साफ तौर पर स्पष्ट था।

- हालांकि, प्रसार भारती का एसआईएस लाइव के साथ 246 करोड़ रुपयों का करार था, वहीं एसआईएस लाइव और जूम के बीच यह उप-अनुबंध महज 177.30 करोड़ रुपये का ही था (इसमें जूम के लाभ मार्जिन का भी फैक्टर है) साफ है कि इससे प्रसार भारती और सरकार को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हालांकि, हम इस नुकसान का मात्रात्मक आकलन लगा पाने में नाकाम रहे।(मौजूद और सत्यापित किए जाने योग्य रिकॉर्ड के आधार पर)।

- भुगतान की अनुबंधीय समय सारणी के मुताबिक,एसआईएस लाइव को 14 अक्तूबर 2010 के पहले सिर्फ 30 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। और शेष का भुगतान कामकाज के सत्यापन के आधार पर होना था। इसे अनियमित रुप से संशोधित कर खेल के पहले 60 प्रतिशत भुगतान तक बढ़ा दिया गया। (उपकरणों के कामयाब तरीके से लगाने और परीक्षण के आधार पर)

यहां तक कि भुगतान शैड्यूल में छूट से जुड़ी सामान्य शर्तों जैसे कि उपकरणों की कम आपूर्ति, उपकरणों के मॉडल और मेक में अनियमित बदलाव, और एसआईएस लाइव के प्रसार भारती की तकनीकी निरीक्षण टीम के साथ असहयोग मुद्दों पर भी प्रसार भारती, एसआईएस लाइव से अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा। अनुबंध के कार्यान्वयन में भी कई खामियां दिखीं। खासकर, क्यूबीआर कवरेज के लिए टेप न मिलने या देर से मिलने तथा एस आई एस द्वारा पहले से तय तकनीकी पेशेवरों को नियुक्त न करने के बारे में भी खामियां दिखीं।

हमने पाया कि प्रसार भारती द्वारा बनाई गई होस्ट ब्रॉडकास्टर मैनेजमेंट कमेटी (एचबीएमसी) इच्छित परिणाम हासिल नहीं कर पाई। एचबीएमसी के सदस्यों के बीच सर्व सम्मति का अभाव था। इससे कई विवादित फैसले लेने पड़े, जो एसआईएस लाइव के फायदे के पक्ष में गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तथा निगरानी समिति (अध्यक्ष-सूचना और प्रसारण मंत्री (आई.एंड.बी.), उपाध्यक्ष-कानून और न्याय मंत्री) जिसे कामकाज की निगरानी और फैसलों में शीघ्रता करने के लिए बनाया गया था, ने प्रसार भारती द्वारा अग्रसारित कमोबेश सभी प्रस्तावों को मंजूर कर लिया।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के एचडीटीवी कवरेज का प्रसार भारती के लिए विरासत मूल्य, संरचना विकास और इन हाउस कौशल के विकास, दोनों ही मामलों में मामूली रहा। प्रसार भारती, 17 में 10 स्पर्धाओं के इनहाउस कवरेज की शुरुआती योजना के मुकाबले केवल तीन स्पर्धाओं के प्रॉडक्शन में शामिल रहा। प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण गैर-स्पर्धा स्थानों पर ही हुआ। साथ ही, ऐसे प्रशिक्षण के खेल के प्रॉडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली उच्च विशेषताओं वाली ओबी वैनों पर होने के कोई सबूत नहीं हैं। इसके अलावा, प्रसार भारती दूरदर्शन को उन्नत कर एचडीटीवी पर लाने की कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना का लाभ

उठाने में भी नाकाम रहा। इसके बाद,एसआईएस लाइव द्वारा प्रसार भारती के कर्मचारियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण भी बेकार साबित हुए क्योंकि प्रसार भारती में एचडीटीवी के उपकरण ही नहीं थे।

(अध्याय 28)

सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए दूरसंचार सेवाएं

सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए दूरसंचार सेवाओं की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर अक्टूबर 2009 में एमटीएनएल को इस आधार पर दी गई कि एमटीएनएल इस प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन करेगा और सार्वजनिक वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। लेकिन हमने पाया कि दूरसंचार सेवाओं की निविदा प्रक्रिया में ही कई कमियां रहीं।

एमटीएनएल ने आयोजन समिति के साथ समझौते के बाद सबसे ज्यादा महंगी तकनीकी के इस्तेमाल का (आईपी अथवा एमपीएलएस) फैसला लिया जिसे प्रसारित होने वाले वीडियो नेटवर्क और ऑडियो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसका परीक्षण पिछले खेलों में कभी नहीं किया गया था और दूसरे राष्ट्रमंडल देशों की खेलों के प्रसारण अधिकार प्राप्त एजेंसियों (आर.एच.बी.) ने स्वीकार तक नहीं किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि इतनी महंगी तकनीक के साथ साथ इन एजेंसियों को वर्तमान तकनीक (प्वांइट टू प्वाइंट डार्क फाइबर) भी उपलब्ध कराई गई। यहां तक कि दूरदर्शन ने भी अपनी वीडियो प्रसारण सेवाओं के लिए प्वांइट टू प्वाइंट डार्क फाइबर तकनीक का ही इस्तेमाल किया। वास्तव में ये तकनीक काफी सस्ती है और इससे सरकारी खजाने पर काफी कम बोझ पड़ने की संभावना थी।

ये आधार कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पी.एस.यू.) होने के नाते एमटीएनएल सभी सार्वजनिक वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाएगी, पिछले पायदान पर चला गया क्योंकि एमटीएनएल ने बिना किसी औचित्य के तकनीकी जरुरतों में बदलाव किया, जिसने केवल एक कंपनी एचसीएल/सिस्को टीम को तकनीकी तौर पर योग्य ठहराया जिससे वित्तीय प्रतिस्पर्धा का सवाल ही नहीं रहा। इस तरीके से एमटीएनएल ने एक अनुबंध देने के लिए एक बैक टु बैक संस्था की तरह कार्य किया जिसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं थी।

अलग अलग वक्त पर एमटीएनएल द्वारा दूरसंचार सेवाओं की बताई गई लागत अविश्वसनीय और बिना पर्याप्त समर्थन के रही जिससे बुनियादी ढांचे पर अंतिम लागत 270.70 करोड़ रुपए (कर रहित)आई, जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूर भी किया गया। ये लागत मेलबोर्न 2006 खेलों की लागत, 33 करोड़ रुपए के करीब 8 गुना से भी अधिक रही। एमटीएनएल द्वारा एचसीएल/ सिस्को टीम को और भी ऊंची कीमत 387.19 करोड़ रुपए पर अनुबंध दिया गया जिससे स्पष्ट तौर पर भारत सरकार को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

एमटीएनएल ने भारत सरकार के खर्चे पर महंगी तकनीक (आईपी एमपीएलएस) के खेलों के बाद इस्तेमाल के लिए कोई यथार्थवादी और विस्तृत बिजनेस प्लान बनाकर नहीं दिया और व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि खेलों सीडब्ल्यूजी-2010 के बाद इस हाई स्पीड तकनीक का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। केवल एक निविदा के दस्तावेज में इसका जिक्र था कि दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 1,00,000 उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल सकता है)। इस आधार पर ये और स्पष्ट हो जाता है कि इस महंगे तकनीकी समाधान के लिए पूरी प्रक्रिया में कितनी लापरवाही का परिचय दिया गया।

(अध्याय 29)

सीडब्ल्यूजी2010 के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डी.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.) के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी.एच.एस.) ने सीडब्ल्यूजी 2010 के दौरान खिलाड़ियों, अधिकारियों, दर्शकों, और खेल गांव में रहने वालों, आयोजन स्थलों और अन्य स्थानों पर अन्य लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक स्वास्थ्य कार्य योजना (हेल्थ एक्शन प्लान) (एच.ए.पी.) बनायी।

हालांकि खिलाड़ियों और खेल परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया गया, हमें पता चला है कि एच.ए.पी. कार्य योजना को अंतिम रूप देने में काफी देरी की गई जिसकी वजह से इसकी निविदा की प्रक्रिया में और भी देरी हुई जिसका इस्तेमाल खरीद की सामान्य प्रक्रिया से हटकर दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर खरीदारी करने में किया गया और इस तरह अत्यावश्यकता के आधार पर पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के साथ छेड़छाड़ की गई।

स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की खरीद में कई अनियमितताएं नजर आईं। हालांकि सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए स्वास्थ्य कार्य योजना एच.ए.पी.की जरूरतों की पहचान बहुत पहले कर ली गई थी लेकिन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने खरीद के कई तरीकों का इस्तेमाल मनमाने तरीके से किया जिसमें जून 2010 में तय एक साल के लिए तय दरों (आर.सी.)के आधार पर खरीद का फैसला सम्मिलित था, अन्य अस्पतालों की तय दरों का संचालन और कई मामलों में सीधे बाजार भाव पर वस्तुएं खरीदने का निर्णय भी लिया गया। हमने पाया कि इनमें से कई वस्तुओं की कीमतें काफी ज्यादा लगाई गई निविदा की दूसरी प्रक्रिया के जरिए उन्हीं उत्पादों की कीमतें कम निकलीं। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्य योजना में शामिल 5 उपकरणों (लागत 5.89 करोड़ रुपए) की खरीद ही नहीं की गई जबकि 5 अतिरिक्त वस्तुएं (जिनका जिक्र स्वास्थ्य कार्य योजना में शामिल नहीं था) 1.10 करोड़ रुपए में खरीदी गई।

हालांकि सफदरजंग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर (एस.आई.सी.) का उद्घाटन सितंबर 2010 में ही कर दिया गया था लेकिन इसमें नवंबर 2010 तक भी पूरी तरह से काम शुरु ही नहीं हो पाया था। कई मेडिकल उपकरण अभी खरीदे जाने और / या स्थापित किए जाने थे और उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी अभी दिया जाना शेष था। इसके साथ साथ उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कुशल कर्मियों की भारी कमी भी रही।

सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए पीपीपी जरिए से 150 एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत बनाने का मॉडल ही असफल हो गया क्योंकि वक्त पर एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से चयनित कंशेसनेयर्स (फोर्टिस हेल्थकेयर) के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया गया। हमारे विचार में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से एंबुलेंस की गाड़ी की प्रकृति को समय से निश्चित व स्पष्ट नहीं किया जा सका। इसका नतीजा ये हुआ कि जून और अगस्त 2010 के बीच सरकार को खेलों के लिए सिर्फ 31 एंबुलेंस काफी ऊंची लागत पर सीधे खरीदनी पड़ी। लागत में इतना बड़ा अंतर इसलिए आया क्योंकि पहले से तय उपकरणों की बजाय ज्यादा उन्नत उपकरणों की जरूरत महसूस की गई। इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पाया है कि ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा गया। इसके अलावा इनमें से 21 एंबुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट (ए.एल.एस.) के लिए थी जिनका इस्तेमाल उच्च प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों द्वारा किया जाता और इसलिए ये ज्यादातर

अस्पतालों से संबद्ध होती हैं। केवल 10 एंबुलेंस ही बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एंबुलेंस थीं जिनका इस्तेमाल दिल्ली के नागरिकों को सामान्य एंबुलेंस सेवाओं और अस्पताल पूर्व आपातकालीन सेवाएं देने के लिए किया जा सकता है।

(अध्याय 30)

सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए संयुक्त सुरक्षा तंत्र (आईएसएस)

सीडब्ल्यूजी 2010 के संयुक्त सुरक्षा तंत्र (आई.एस.एस.) की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा मई 2009 में नामांकन के आधार पर इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) एक पीएसयू को सौंपी गयी। हमने पाया कि ईसीआईएल ने इस कार्य के लिए काफी ऊंची कीमत (346 करोड़ रुपए मंजूर) का आकलन प्रस्तुत किया जिससे उसे कम से कम 126 करोड़ रुपए का भारी फायदा हुआ। हमारी सिफारिश है कि वास्तविक लागत की पूरी जांच के बाद और ईसीआईएल की वैधानिक ऑडिट टीम के सत्यापन के बाद 20 फीसदी के मुनाफे के आधार पर ही ईसीआईएल को अंतिम भुगतान जारी किया जाये।

हमने पाया कि 39 करोड़ रुपए की लागत में 176 पोर्टेबल एक्सप्लोसिव डिटेक्टर (पीईडी) गलत आधार पर खरीदे गए जिनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसी तरह से मान्यता प्राप्त गाड़ियों पर लगाए जाने वाले 18700 आरएफआईडी टैग में से 15,090 टैग बिना किसी इस्तेमाल के ही पड़े रहे।

गृह मामलों के मंत्रालय (एम.एच.ए.) के पास इन सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल / परिनियोजन के लिए कोई स्वीकृत स्थाई योजना तैयार नहीं थी और वस्तुओं की पहचान स्थाई, अस्थाई अथवा उपयोग के लिए वरीयता अनुसार सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ईसीआईएल के पास स्थाई और अस्थाई इस्तेमाल वाले 272.65 करोड़ रुपए के उपकरण मौजूद हैं जिनका न तो कोई वैकल्पिक इस्तेमाल किया गया न ही दूसरी जगह लगाया गया।

(अध्याय 31)

सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए भारतीय टीमों की तैयारियां

जून 2008 में सीडब्ल्यूजी 2010 के लिए भारतीय टीम की तैयारियों के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय (एम.वाई.ए.एस.) ने एक योजना की शुरुआत की जिसके तहत 1286 बेहतरीन खिलाड़ियों, जो सीडब्ल्यूजी-2010 खेलों में पदकों के प्रबल दावेदार थे, के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और इसके क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, उन्नत तकनीकी वाले बुनियादी ढ़ांचे और दूसरी सहायक सुविधाओं का प्रबंध किया जाना था।

हमने पाया कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 2008 -11 तक की अवधि के कुल 678 करोड़ रुपए के बजट का केवल 30 फीसदी ही इस्तेमाल किया जा सका। इसके बाद संभावित प्रमुख दावेदार खिलाड़ियों के चयन और उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की व्यवस्था में भी काफी देरी की गई। मुख्य दावेदारों की प्रगति का लेखाजोखा जांचने के लिए मानकों का निर्धारण करने में भी योजना की शुरुआत होने के बाद 15 से 20 माह का वक्त लग गया।

कुल 18 स्पर्धाओं के लिए (17 सामान्य और 1 विशेष) 284 प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। लेकिन कई तरह की स्पर्धाओं और उप स्पर्धाओं के लिए पूरे साल में एक भी शिविर की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

2008 से 2011 के बीच सभी प्रबल दावेदारी रखने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने 40.12 करोड़ रुपए की लागत के खेल उपकरणों के आयात संबंधी 28 अनुबंध अथवा आर्डर जारी किए। इस खरीद की प्रक्रिया में हमें गंभीर खामियां देखने को मिलीं। सभी 28 आर्डर बिना पर्याप्त औचित्य के एकल निविदा के आधार पर जारी कर दिए गए और तर्क दिया गया कि ये प्राथमिकता वाली वस्तुएं थीं।

किसी भी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया की अनुपस्थिति में हम पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और लागत के औचित्य का कोई आकलन नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी इन खर्चों का ज्यादा औचित्य नहीं रहा क्योंकि इनमें से कई वस्तुएं प्रशिक्षण शिविरों के समाप्त होने के बाद और खेलों के दौरान या खेल खत्म होने के बाद मिलीं। कुछ वस्तुओं को स्थापित ही नहीं किया जा सका या वे भारतीय खेल प्राधिकरण के गलत क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंच गईं अथवा अन्य कारणों से बिना किसी इस्तेमाल के रहीं।

बुनियादी ढांचे की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण पांच क्षेत्रीय केन्द्रों पर हॉस्टल का निर्माण नहीं कर पाया। जबकि तीन केन्द्रों पर बने हॉस्टलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि वहां फर्नीचर, रसोई और दूसरी व्यवस्थाएं नहीं थीं। खेलों के पहले 8 में से 7 खेल विज्ञान केन्द्र, सभी 8 आधुनिक फिटनेस सेन्टर्स और विभिन्न केंद्रों पर नवीनीकृत और उन्नत किए गए हॉल बिना किसी प्रयोग के ही पड़े रहे। इस तरह से बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए जारी किए गए 78.63 करोड़ रुपए में से 74.35 करोड़ रुपए का खर्च व्यर्थ रहा क्योंकि इसका खेलों के लिए समय पर कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। इसी तरह 9.20 करोड़ रुपए के खेल विज्ञान उपकरणों में से शायद ही नाममात्र को कोई उपकरण खेलों के लिए उपलब्ध रहा हो।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वित्तीय प्रबंधन में भी खामी रही जिसमें इस्तेमाल न किए जा सके 45.50 करोड़ रुपए अभी तक लौटाए नहीं गए हैं और 19 करोड़ रुपए भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय के प्रशासनिक खण्ड की बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए गए।

(अध्याय 32)

निष्कर्ष

इस बात को स्वीकार किया जाता है कि भारत ने दिल्ली में अक्टूबर 2010 में सबसे बड़े और अब तक आयोजित सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेलों में से एक का आयोजन किया। देश की प्रबंधकीय और खेल क्षमताओं पर यह एक विशिष्ट टिप्पणी है, क्योंकि खेलों के वास्तविक आयोजन में अत्यधिक कठिनाइयां होने के बावजूद, भारत मेजबान और प्रतियोगी दोनों के रूप में सफल रहा।

यह याद किया जा सकता है कि इस विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन को जुलाई 2009 में दाखिल करते समय हमने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह अनुशंसा की थी कि सरकार को खेलों के सुचारु और सफल आयोजन के लिए शासन के ढांचे की समीक्षा करनी चाहिए। लेखा परीक्षा ने लगातार ऐसा महसूस किया कि इस रिपोर्ट में इंगित किए गए मामलों पर गंभीर कदम नहीं उठाए गए, क्योंकि इस बारे में समय से उठाए गए कदमों से

उस विपरीत ध्यानाकर्षण के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता था, जो कि खेलों के आयोजन के दौरान उत्पन्न हुआ।

इस रिपोर्ट में सीडब्ल्यूजी-2010 के लिए अपनाए गए शासन के मॉडल पर टिप्पणी की गई है, जिसमें प्राधिकार अस्पष्ट था, जवाबदेही केंद्रित नहीं थी और नियंत्रण के लिए एकाधिकार या तो उपलब्ध नहीं कराया गया या इसका पालन नहीं किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन को गैर सरकारी अधिकारियों को सौंपना भी उचित नहीं था, जो कि अधिसूचित सरकारी अधिकारियों की कोई भी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं थे।

खेलों के आयोजन के लिए हुई सभी गतिविधियों की जिन कार्यविधियों पर ध्यान दिया गया वह इस प्रकार थीं निर्णय लेने में अस्पष्ट देरी, जिसके परिणामस्वरूप समयसीमा पर दबाव पड़ा और जिसकी वजह से एक कृत्रिम या सोच समझकर बनाया हुआ जल्दबाजी का माहौल उत्पन्न हुआ। क्योंकि निर्धारित तारीख को बदला नहीं जा सकता था, इसलिए इस तरह की देरियों से केवल निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं में उदार छूट देकर ही निपटा जा सकता था। और ऐसा करने में अनुबंध देने की प्रक्रिया को स्पष्ट व निश्चित नुकसान पहुंचा। बहुत से अनुबंधों को एकल निविदा के आधार पर दिया गया, और इनमें से कुछ को तो केवल नामांकन के आधार पर ही दे दिया गया। पूर्व निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं में दी गई छूट ने प्रतियोगी वातावरण को खत्म करने का काम किया। इस तरह के कार्यों से जो एक निश्चित निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यह सब एक सोचे-समझे उद्देश्य के तहत किया गया भी हो सकता है। प्रतियोगिता के खत्म हो जाने से सरकारी खजाने पर एक अतिरिक्त रोके जा सकने वाले खर्च का भार पड़ा।

सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जब भी कोई बाहरी संस्था सरकार के सामने बजट संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो, संबंधित विभागों को इन प्रस्तावों का एक विस्तृत और गहन निरीक्षण करना होता है। तथापि, ऐसे प्रस्तावों के स्वतंत्र निरीक्षण, खास तौर पर ओसी द्वारा राजस्व प्राप्ति और होने वाले संभावित व्ययों के साथ ही सरकार द्वारा वहन की जाने वाली समस्त वित्तीय जिम्मेदारियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। व्यय प्रस्तावों की जांच पड़ताल और मंजूरी के सभी स्तरों पर उचित एवं पर्याप्त सचेतना और उद्यमशीलता स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी।

वित्तीय औचित्य का बुनियादी सिद्धांत यह है कि प्रथम दृष्टि में व्यय प्रयोजन की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, और सरकारी धन के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठा रहे अधिकारियों को सार्वजनिक धन के व्यय में ऐसी ही सावधानी अपनानी चाहिए जैसी कि एक साधारण व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में अपनाता है। इसके बाद, प्रक्रिया केवल पारदर्शी और संतोषजनक ही नहीं होनी चाहिए, तथापि जनता को भी ऐसा लगना चाहिए कि सार्वजनिक धन का उपयोग उचित और पारदर्शी तरीके से हुआ और कमियों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार को इस संदर्भ में उच्च आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए।

(अध्याय 33)

